वार्षिकी-2014, अंकः 1

प्रवर्तन संदेश

प्रवर्तन निदेशालय

ENFORCEMENT DIRECTORATE

प्रवर्तन दिवस, 2014 के दौरान राष्ट्रगान के समय माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी तथा प्रवर्तन निदेशक, डॉ॰ राजन कटोच

डॉ॰ राजन कटोच, प्रवर्तन निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय की पुनर्रचित वेबसाइट को लोकार्पण करते हुए।

प्रवर्तन संदेश

प्रवर्तन निदेशालय (मुख्यालय) की
वार्षिक पत्रिका
भारत सरकार, नई दिल्ली।

वर्ष–2014

क्रम सं.	शीर्षक	लेखक का नाम	पृष्ठ
1.	धनशोधन निवारण अधिनियम के महत्वपूर्ण तथ्य	डॉ0 शमशुद्दीन	9
2.	प्रवर्तन निदेशालय (मुख्यालय) तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति	जगदीश प्रसाद मीना	12
3.	प्रवर्तन निदेशालय की उपलब्धियाँ–वर्ष 2013–14	निरंजन सुबुधि	14
4.	राजभाषा हिन्दी और इसके विकास से जुड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रम	बालकिशन	17
5.	हिन्दी दिवस की प्रासंगिकता	प्रीतम सिंह	22
6.	प्रवर्तन दिवस 1 मई, 2014	मोहन सिंह	23
7.	प्रवर्तन निदेशालय में सतर्कता प्रणाली	वेद प्रकाश वर्मा	25
8.	प्रशिक्षण से सशक्तिकरण की ओर	हिमांशु कुमार लाल,	26
9.	फेमा और भारतीय रिजर्व बैंक	नीता बेहरामफ्राम	28
10.	प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण मामलों में जांच	ए. के. कौशल	32
11.	परस्पर विधिक सहायता संधियाँ (एम.एल.ए.टी.)	राजेश कुमार शर्मा	35
12.	राजस्व की अवधारणा	ओम प्रकाश सहारण	36
13.	अमन चैन से रहना है तो सहनशील बन जाए सारे	जगदीश प्रसाद मीना	37
14.	माँ	देवेन्द्र कुमार खरे	38
15.	जनसंख्या	कन्हैया लाल	39
16.	'मेरी सोच है बेकार'	नीरज कुमार कत्याल	40
17.	शहीद की आत्मा	विवेक श्रीवास्तव	41
18.	रत्नों से रोग शान्ति	विजय आचार्य	43
19.	आज नहीं तो कल	जे. ऐ. ज़ैदी	45
20.	सरकारी कर्मचारी	अनु वर्मा	46
21.	भारतीय समाज में नारी का महत्व एवं स्थिति	राकेश चन्द्र शर्मा	47
22.	चलिए .... चलकर गाँव में देखे	मनोज कुमार वर्मा	49
23.	वह हिंदी है वह हिंदी है	कुल भूषण कुमार	50
24.	लूटियन्स की दिल्ली	अनूप सिंह रौथान	51

मुख्य संरक्षकः
डॉ. राजन कटोच
प्रवर्तन निदेशक

संरक्षकः
श्री बालेश कुमार
विशेष निदेशक

मुख्य संपादकः
श्री डी॰ के॰ गुप्ता
अपर निदेशक

संपादकः
जगदीश प्रसाद मीना
सहायक निदेशक (राजभाषा)

संपादक मंडलः

श्री देवेन्द्र कुमार खरे
उप निदेशक

श्री अनूप सिंह रौथान
सहायक निदेशक

श्री वी पी वर्मा
सहायक निदेशक

श्री जसवंत सिंह
प्रवर्तन अधिकारी

श्री प्रेम सिंह मीना
सहायक प्रवर्तन अधिकारी

श्री कन्हैया लाल
सहायक

श्री बाल किशन
वरिष्ठ अनुवादक

पत्र व्यवहार के लिए पताः
कमरा सं0 44, हिंदी अनुभाग, प्रवर्तन निदेशालय,
छठा तल, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली–110003

प्रवर्तन निदेशक
प्रवर्तन निदेशालय
भारत सरकार
नई दिल्ली।

संदेश

कई वर्षों के बाद प्रवर्तन निदेशालय मुख्यालय एक पत्रिका का प्रकाशन करने जा रहा है। इसके प्रकाशन से कार्मिकों में साहित्यिक प्रवृत्ति का अभ्युदय होगा और यह ह्रदय की मनोहारी भावनाओं को शब्द–बद्ध करने में प्रेरणा का कार्य करेगी। राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार में पत्रिका सहायक सिद्ध होगी।

मुझे आशा है कि इस पत्रिका के प्रकाशन से उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकेगी, जिनके लिए इसका प्रकाशन किया जा रहा है और भविष्य में यह नियमित रूप से प्रति वर्ष प्रकाशित होगी।

इस अवसर पर पत्रिका के प्रकाशन से सम्बद्ध सभी सहभागीदारों तथा पाठकों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

(राजन कटोच)

विशेष प्रवर्तन निदेशक
प्रवर्तन निदेशालय
भारत सरकार
नई दिल्ली।

संदेश

प्रवर्तन निदेशालय, मुख्यालय की हिंदी पत्रिका 'प्रवर्तन संदेश' का प्रथम अंक प्रकाशित होने जा रहा है, जो निदेशालय के कार्य कलापों में अपने आप में एक उपलब्धि है। निदेशालय के अधिकारियों ने इस अंक में दिखाया है कि वे न केवल कार्यालयीन कार्यों में अपितु अपनी लेखन प्रतिभा में भी हिंदी का कितनी सहजता से प्रयोग करते हैं।

'प्रवर्तन संदेश' में निदेशालय की कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों की झलकों के साथ–साथ कई रोचक लेख एवं कविताओं का समावेश किया गया है। निदेशालय परस्पर प्रगति के पथ पर अग्रसर है तथा अपनी उपलब्धियों के लिए सराहा गया है। प्रवर्तन दिवस के आयोजन से हमारी आर्थिक सुरक्षा की महत्वता को नई पहचान मिली है। निदेशालय में की गई कई जाचें हमारी विशेषज्ञता और दक्षता का परिचय देती है। पत्रिका में प्रकाशित तीन मामलों में इस पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। मुझे आशा है कि यह पत्रिका निदेशालय की जानकारियाँ सुलभ करवाने का माध्यम सिद्ध होगी।

मैं इस पत्रिका की संपादकीय समिति की सराहना करता हूँ, जिन्होंने इस पत्रिका को रोचक बनाने में गुणवत्ता की सामग्री का चयन किया। मुझे आशा है कि इस पत्रिका का प्रकाशन, कार्यालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने में कारगर साबित होगा। निदेशालय की वार्षिक पत्रिका 'प्रवर्तन संदेश' की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं।

(बालेश कुमार)

अपर निदेशक
प्रवर्तन निदेशालय
भारत सरकार
नई दिल्ली।

मुख्य संपादक की कलम से

प्रवर्तन निदेशालय में काफी समय से एक गृह पत्रिका प्रकाशित करने पर विचार किया जा रहा था। राजभाषा हिंदी के विकास में हिंदी पत्रिका का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गृह पत्रिका के माध्यम से सभी कार्मिकों को एक ऐसा मंच मिलता है, जहाँ वे अपने लेख, कहानी, संस्मरण एवं कविताओं के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं और साथ ही निदेशालय में किए जा रहे काम काज एवं गतिविधियों का अनुभव साझा कर सकते हैं। इस पत्रिका में समाहित कविताएं, लेख व अन्य प्रकार की साहित्यिक सामग्री कार्मिकों की अपनी स्वरचित है। संपादक मंडल द्वारा यह प्रयास किया गया है कि पत्रिका में प्रकाशित सामग्री से किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय को ठेस न पहुँचे एवं सरकार तथा प्रशासन की नीतियों पर किसी प्रकार की टिप्पणी न हो।

इस अवसर पर मैं निदेशक महोदय एवं विशेष निदेशक महोदय को प्रोत्साहन के लिए हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि उनके मार्ग–दर्शन और सक्रिय रूचि के बिना इतने कम समय में यह पत्रिका निकालना मुमकिन नहीं था। साथ ही उन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इतने कम समय में प्रकाशन के चुनौतीपूर्ण कार्य को बड़ी तत्परता और लगन से पूरा किया।

मुझे उम्मीद है कि यह पत्रिका प्रवर्तन निदेशालय के सभी कार्मिको को पसंद आएगी।

देवेन्द्र गुप्ता
(डी0के0 गुप्ता)

धनशोधन निवारण अधिनियम के महत्वपूर्ण तथ्य

इस लेख में धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 (अधिनियम संख्या 15/2003) के महत्वपूर्ण स्वरूपों पर प्रकाश डाला गया है। धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 को 1 जुलाई, 2005 से लागू किया गया है। यह अधिनियम एक विशेष कानून है। इस अधिनियम में अब तक 3 बार संशोधन हो चुके हैं। पहला संशोधन 2005 में, दूसरा 2009 में तथा तीसरा संशोधन 2012 (जिसे 15.2.2013 से लागू किया गया) में हुआ। यह कानून धनशोधन की रोकथाम के लिए है और अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है जो धनशोधन या इससे जुड़ी गतिविधियों से प्राप्त की गई हो।

इस अधिनियम की अन्य विशेषताओं के साथ–साथ (अनुसंधान आदि), तीन मुख्य विशेषताएं हैं :–

- संपत्ति की कुर्की
- संपत्ति की जब्ती
- दोषी का अभियोजन

इस अधिनियम को भारत तक ही सीमित नही अपितु इसका मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के संकल्प एवं अंतराष्ट्रीय निकाय (एफ.ए.टी.एफ) के अनुरोधों का परिपालन करना है। इस लेख में मुख्यतः निम्नलिखित 3 विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है:–

(क) धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 में हाल ही में हुए संशोधन।

(ख) धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण मामले।

(ग) प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(क) धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 में हाल ही में हुए संशोधन

1. इस संशोधन को 15.02.2013 से लागू किया गया है।

2. 30 लाख रुपए की आर्थिक सीमा को समाप्त कर दिया गया है और पी एम एल ए की अनुसूची पहले के भाग–बी को अब भाग–ए में मिला दिया गया है।

3. पी एम एल ए की धारा 5 (1) के संबंध में अंतरिम कुर्की आदेश की वैधता 150 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दी गई है।

4. वाद में निर्णय के बाद, पी एम एल ए की धारा 8(5) के अंतर्गत संपत्ति की जब्ती विशेष न्यायालय द्वारा की जाएगी।

5. पीएमएलए की धारा 8 (6) के तहत यदि कुर्क संपत्ति को धनशोधन में शामिल नहीं पाया जाता अथवा धनशोधन के उल्लंघन में नहीं पाया जाता तो ऐसी संपत्ति विशेष न्यायालय द्वारा संपत्ति के हकदार व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी ।

6. पीएमएलए की धारा 8 (7) के तहत अभियुक्त की मृत्यु होने अथवा अभियुक्त के भगौड़ा घोषित होने की स्थिति में संपत्ति की जब्तीकरण अथवा वापस करने के संबंध में विशेष न्यायालय को उपयुक्त आदेश देने की क्षमता निहित है।

7. पी एम एल ए की धारा 44 (1) (ग) के अंतर्गत अनुसूचित अपराध की न्यायिक कार्यवाहियों का विशेष न्यायालय में स्थानांतरण उसी अवस्था से होगा, जिस अवस्था में यह पूर्व न्यायालय में विचाराधीन था।

8. साक्ष्य प्रस्तुत करनाः धारा 24

(ए) यदि किसी व्यक्ति को पीएमएलए की धारा 3 के तहत धन–शोधन के अपराध में आरोपित किया जाता है तो प्राधिकरण अथवा न्यायालय तब तक यही मानेगा कि वह धन शोधन के अपराध में शामिल है जब तक कि इसके विपरीत कोई साक्ष्य प्रस्तुत न किया जाए ।

(बी) किसी अन्य व्यक्ति के मामले में, प्राधिकरण अथवा न्यायालय यह मान सकता है कि उसका धन भी धनशोधन के अपराध में शामिल है।

9. पी एम एल ए की धारा (44) (1)(घ) :

एक विशेष न्यायालय, अनुसूचित अपराध अथवा धनशोधन के अपराध की न्यायिक कार्यवाही, अपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत वैसे ही

करेगी जैसी न्यायिक प्रक्रिया सत्र न्यायालय में होती है।

(ख) पी एम एल ए के तहत महत्वपूर्ण मामले

1. बिनोद कुमार बनाम झारखण्ड राज्य सरकार, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 29.03.2011 को निर्णय दिया।

मामले से संबंधित मुद्दे : –

- क्या सी बी आई के पास इन अपराधों के अन्वेषण के लिए कोई ऐसा प्रावधान है जो पी एम एल ए की धारा 43 और 44 के साथ पठित धारा 45 (आई ए) के दृष्टिकोण से पूर्णरूप से प्रवर्तन अधिकार – क्षेत्र में आते हैं।
- क्या सी बी आई द्वारा अन्वेषण करवाने का निर्देश दिया जाना सही था ?

इस मामले में उच्चतम न्यायाल्य ने यह प्रतिपादित किया कि पी एम एल ए के तहत धनशोधन के अपराध के अन्वेषण के लिए प्रवर्तन निदेशालय ही एक मात्र अभिकरण है।

2. राधा मोहन लखोटिया बनाम उप निदेशक, (पी एम एल ए) माननीय बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05/08/2010 का निर्णय।

मामले से संबंधित मुद्दे :–

- किस आधार पर पी एम एल ए की धारा 5 (1) के तहत कुर्की की जाती है ?

इस मामले में माननीय मुंबई उच्च न्यायालय ने यह माना कि प्राधिकारी को यह दर्शाने की आवश्यकता होती है कि ऐसे बहुत से संभाव्य कारण थे, जिससे कि इस अपराध को क्रियान्वित करने पर संपत्ति कुर्क की जाती है।

3. बी रामाराजू बनाम भारत संघ, माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.03.2011 का निर्णय ।

मामले से संबंधित मुद्दे :

- पी एम एल ए की धारा 5 (1), 8 (2), 8 (3), 8 (4), 23 और 24 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी।

माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पी एम एल ए की संवैधानिक वैधता के पक्ष में निर्णय दिया। इसके अतिरिक्त, यह बरकरार रखा कि अपराधिक कार्यविधि करने वाले किसी व्यक्ति की अन्य किसी संपत्ति की भी कुर्की की जा सकती है। यह प्रमाणित करने का भार की अपराधिक कार्यविधि की संपत्ति बेदाग है, न केवल अभियोजन के दौरान अपितु अधिकार में लेने और जब्त करने पर भी लागू होता है।

4. आर देवादौस बनाम उप निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, मद्रास उच्च न्यायालय रिट वाद संख्या 24444–24445/2010

मामले से संबंधित मुद्दे:

क्या पक्षकारी को अंतरिम कुर्की आदेश पारित करने से पहले नोटिस दिया जाना जरूरी है। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने यह बरकरार रखा कि जहाँ तक अन्तरिम कुर्की का संबंध है, इसका उद्देश्य संबंधित व्यक्तियों को विवादास्पद संपत्तियों के किसी भी तरीके से बेचने अथवा हस्तांतरित किए जाने से बचाना है।

5. हरि नारायण राय बनाम, सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, दिनांक 06.08.2010

मामले से संबंधित मुद्दे:

माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड ने अपने उक्त आदेश में यह व्यवस्था दी है कि संपत्ति अर्जित करने की तारीख महत्वपूर्ण नहीं है अपितु उस संपत्ति का प्रदर्शन महत्वपूर्ण माना जाएगा।

(ग) प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रवर्तन निदेशालय में दिनांक 07.09.2013 से 11.09.2013 तक भारतीय विधि संस्थान में सहायक विधि सलाहकारों और विधि परामर्शकों हेतु एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक डॉ. राजन कटोच ने माननीय मुख्य न्यायाधीश व अन्य उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया और प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश माननीय जस्टिस पी. सदाशिवम द्वारा किया गया। प्रोफेसर (डॉ.) मनोज कुमार सिन्हा, निदेशक, भारतीय विधि संस्थान ने भी उपस्थित अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत किया। माननीय

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुर्क की गई सम्पत्तियॉं

मुख्य न्यायाधीश ने अपने उद्घाटन भाषण में भारत में तथा समूचे विश्व में धनशोधन के बढ़ रहे मामलों तथा घटनाओं एवं उनसे जुड़ी गैर कानूनी और अपराधिक गतिविधियों के बारे में चिंता व्यक्त की।

माननीय मुख्य न्यायाधीश ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान शामिल किए जा रहे विषयों की महत्ता का उल्लेख किया और उम्मीद जताई कि यह प्रशिक्षण, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को अपने कार्यों को प्रभावशाली एवं सुचारू रूप से करने में अधिक सहायता करेगा। प्रशिक्षण के विषयों में फेमा, पीएमएलए, कुशल/व्यावहारिक दृष्टिकोण/ मामलों का अध्ययन एवं सहायक विधि सलाहकार तथा विधि परामर्शकों का कार्यकलाप और कर्त्तव्य शामिल किए गए। अधिकारियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

प्रसिद्ध वक्ताओं ने प्रतिभागियों को संबोधित किया, जिनमें माननीय जस्टिस डी. के. जैन, चेयरमैन, भारतीय विधि आयोग, श्री मोहन पाराशरण, भारत के तत्कालीन सॉलिसिटर जनरल, प्रोफेसर मूल चंद शर्मा, सदस्य, भारतीय विधि आयोग, श्री गोपाल सुब्रमण्यम, वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल, माननीय न्यायाधीश अनिल कुमार, अध्यक्ष अपील प्राधिकरण (पीएमएलए) आदि शामिल थे।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन में श्री मोहन पाराशरण, भारत के माननीय सालिसटर जनरल द्वारा अधिकारियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। समापन समारोह की अध्यक्षता निदेशक महोदय डॉ0 राजन कटोच ने की और डॉ0 शमशुद्दीन, अपर निदेशक (अभियोजन), प्रवर्तन निदेशालय ने सभी का धन्यवाद किया।

डॉ0 शमशुद्दीन
अपर निदेशक (अभियोजन)

प्रवर्तन निदेशालय (मुख्यालय) तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति

निदेशालय (मुख्यालय) तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में माननीय राष्ट्रपति महोदय के आदेशों, संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों तथा राजभाषा विभाग के दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निदेशालय एवं इसके अधीनस्थ कार्यालयों में निम्न बिन्दुओं पर कार्यान्वयन कार्य किया जा रहा है :–

1. **तिमाही हिन्दी प्रगति रिपोर्ट :–** यह रिपोर्ट हर तीसरे माह निदेशालय के अनुभागों तथा अधीनस्थ कार्यालयों के प्रमुख के हस्ताक्षर से मंगाई जाती है जिसमें तिमाही के दौरान कार्यालयों में कार्यालयीन कार्य में हिन्दी प्रयोग की स्थिति का लेखा जोखा होता है। इन रिपोर्टों की समीक्षा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित पत्राचार के लक्ष्य को ध्यान में रखकर की जाती है अगर किसी अनुभाग एवं कार्यालय का हिन्दी पत्राचार निर्धारित लक्ष्य से कम होता है तो उन्हें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ठोस एवं कारगर उपाए सुझाए जाते है और उन पर की गई कार्रवाई से मुख्यालय को अवगत कराने का अनुरोध किया जाता है ।

2. **राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन :–** प्रत्येक तिमाही में निदेशालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों में एक बैठक का आयोजन करना संसदीय राजभाषा समिति की प्रमुख अपेक्षा होती है। कार्यालय प्रमुख बैठक में कार्यालय के हिन्दी पत्राचार एवं राजभाषा नीति के अनुपालन की स्थिति पर विस्तृत चर्चा कर कार्यालय में हिन्दी पत्राचार के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के दिशा–निर्देश दिये जाते हैं।

3. **हिन्दी कार्यशाला का आयोजन करना :–** राजभाषा विभाग के दिशा–निर्देश के अनुपालन में निदेशालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों में हर तिमाही में एक हिन्दी कार्यशाला आयोजित करना अपेक्षित है जिसमें वक्ता के रूप में एक हिन्दी विशेषज्ञ को बुलाया जाता है जो हिन्दी पत्राचार के प्रकार तथा कार्यालयीन कार्य में हिन्दी के प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों तथा अधिकारी कर्मचारियों की हिन्दी में कार्य करने की झिझक को दूर करने में सहायता करते हैं जिससे हिन्दी में कार्य करने के प्रति लोगों में उत्साह बढेगा और निदेशालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों के हिन्दी पत्राचार में अभूतपूर्व वृद्धि होगी ।

4. **धारा 3 (3) का अनुपालन सुनिश्चत करना :–** निदेशालय तथा इसके अधीनस्थ सभी कार्यालयों को धारा 3 (3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज अर्थात फेमा तथा पीएमएलए के सम्मन द्विभाषी रूप में, एमआर रिपोर्ट, ईसीआईआर, वैयक्तिक सुनवाई, कारण बताओं नोटिस का सहपत्र तथा प्रशासन अनुभाग में प्रयोग होने वाले सभी मानक फार्म द्विभाषी रूप से जारी किया जाना सुनिश्चित करना।

5. **राजभाषा नियम 1976 के 8(4) के तहत हिन्दी में कार्य करने के लिए अनुभाग विनिर्दिष्ट करना:–** इसके तहत सभी कार्यालय प्रमुखों से अनुरोध किया गया है कि अपने यहां प्रशासन, स्थापना, लेखा तथा समन्वय जैसे अनुभागों को अपना अधिकतर कार्य हिन्दी में करने के लिए विनिर्दिष्ट करें।

6. **राजभाषा हिन्दी से संबंधित नियम/आदेशों के अनुपालन हेतु जांच बिन्दु निर्धारित करना :–** इसके अधीन सभी कार्यालय प्रमुखों से अपेक्षा की जाती है कि प्रशासन अनुभाग से संबंधित जारी होने वाले मानक फार्म, सम्मन जारी करने वाले अधिकारी तथा डायरी डिस्पेच करने वाले

अधिकारी आदि को यह देखना होगा कि दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए जा रहे है या नहीं।

7. **राजभाषा के नियम 1976 के नियम 8(4) के तहत अधिकारी/कर्मचारियों को विनिर्दिष्ट करना:–** उक्त नियम के तहत निदेशालय सहित सभी अधीनस्थ कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों से अनुरोध किया गया है कि जो अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान रखते है जहां संभव हो, उन्हें अपना अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करने हेतु विनिर्दिष्ट किया जाए।

8. **नगर राजभाषा कार्यान्वयन कार्यालयों में होने वाली हिन्दी की बैठकों, समारोह तथा अन्य कार्यक्रमों में भाग लेना सुनिश्चित करना:–** इसके तहत सभी अधीनस्थ कार्यालय के अधिकारियों को सुझाव दिया गया है कि उक्त होने वाले सभी प्रकार के कार्यक्रमों में हिन्दी संबंधित कार्य देखने वाले अधिकारी की भागीदारी सुनिश्चित करे। उन कार्यक्रमों में हिन्दी के प्रचार–प्रसार तथा राजभाषा नीति के अनुपालन में जो सुझाव दिए जाते है उन पर अपने वरिष्ठ अधिकारी के साथ विचार विमर्श कर अपने कार्यालय में उन सुझावों पर अमल शुरू किया जाए।

9. **राजभाषा विभाग द्वारा संचालित प्रोत्साहन योजनाए चलाना:–** निदेशालय सहित सभी अधीनस्थ कार्यालय प्रमुखों से यह अनुरोध किया जाता है कि उक्त विभाग द्वारा चलाई जाने वाली प्रोत्साहन योजनाओं को अपने यहाँ शुरू की जाएं और उन प्रोत्साहन योजनाओं में भाग लेने वाले प्रतिभागी विजेताओं को पुरस्कृत किया जाए ताकि हिन्दी में कार्य करने के प्रति उनका रूझान बढ़ सके।

10. **संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों के अनुसार राजभाषायी निरीक्षण करना:–** समिति की सिफारिशों के अनुपालन में 25–25 प्रतिशत आंतरिक तथा बाहरी निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है जिसका अनुपालन किया जा रहा हैं और निरीक्षण के दौरान हिन्दी पत्राचार की स्थिति और अन्य प्रकार के कार्यों का जायजा लिया जाता है साथ ही साथ इस दिशा में आवश्यक होता है तो सुझाव भी दिए जाते हैं।

11. **हिन्दी प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ तथा हिन्दी टंकण/आशुलिपिक प्रशिक्षण दिलाना :–** उपर्युक्त के संदर्भ में निदेशालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों के प्रमुखों को यह जानकारी उपलब्ध कराई जाती है कि जो भी अधिकारी/कर्मचारी/लिपिक/ आशुलिपिक नई भर्ती से आते हैं उन्हें उक्त प्रशिक्षण दिलवाना अनिवार्य है जिससे कि वह अपना अधिकतर कार्य हिन्दी मे कर सकें।

उपर्युक्त सभी मदें वरिष्ठ अधिकारियों की देख–रेख में निदेशालय सहित सभी कार्यालयों में सुचारू रूप से लागू की गई है जिन पर अमल किया जा रहा हैं जिससे हिन्दी में कार्यालयीन कार्य करने में अधिकारी/ कर्मचारियों में भारी उत्साह देखा गया, इसके परिणामस्वरूप कार्यालयों का हिन्दी प्रत्राचार राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य (कालीकट, कोचीन, गोवा, श्रीनगर, बंगलौर, रांची, रायपुर तथा देहरादून) प्राप्त कर लिया है शेष लक्ष्य के बिल्कुल करीब है मुझे आशा है कि भविष्य में भी हिन्दी पत्राचार में इसी तरह वृद्धि होती रहेगी।

जगदीश प्रसाद मीना
सहायक निदेशक (राजभाषा)

प्रवर्तन निदेशालय की उपलब्धियाँ–वर्ष 2013–14

क. संगठन और कार्य–कलापः

संगठनात्मक संरचनाः

प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख प्रवर्तन निदेशक हैं। निदेशालय के अन्य अधिकारी विशेष निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप विधिक सलाहकार, उप निदेशक, सहायक विधिक सलाहकार, सहायक निदेशक, प्रवर्तन अधिकारी और सहायक प्रवर्तन अधिकारी अन्य लिपिकवर्गीय कर्मचारियों की सहायता से कार्य करते हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रवर्तन में निदेशालय की बढ़ी हुई भूमिका को देखते हुए, मार्च, 2011 में सरकार द्वारा निदेशालय की संख्या को पुनर्गठित किया गया था।

एक जाँच अभिकरण के लिए आवश्यक गुणवत्ता वाले अधिकारियों की भर्ती सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, निदेशालय नए कार्यालयों को खोलने के साथ–साथ चरणबद्ध पद्धति से पदों को भरने की प्रक्रिया में है। निदेशालय का मुख्यालय कार्यालय नई दिल्ली में है और नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और चण्डीगढ़ में 05 क्षेत्रीय कार्यालयों के अलावा, 16 जोनल कार्यालय एवं 11 उप जोनल कार्यालय हैं।

निदेशालय के कार्मिकों की कुल संख्या अब 2064 हो गई, दिनांक 31.03.2014 तक 693 पदों को भरा गया है।

ख. कार्यकारी स्कंध का काम–काजः–

प्रवर्तन निदेशालय दो अधिनियमों अर्थात् विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) का कार्यान्वयन करता है। दिनांक 01.06.2000 से विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (फेरा) को फेमा से प्रतिस्थापित किया गया है। निदेशालय निरसित हुए फेरा, 1973 के बाकी बचे कार्य भी जारी रखे हुए है। निदेशालय कोफेपोसा, 1974 के प्रावधानों को भी

विषय	न्यायनिर्णित कारण बताओ नोटिस	लगाई गई शास्तियां (रू0 लाख में)	वसूली गई (रू0 लाख में)
फेमा	780	7813.4	802.32
फेरा	265	3738.27	492.31

पी एम एल ए	आंकड़े
ई सी आई आर की संख्या	209
जारी किए गए अनंतिम कुर्की आदेशों की संख्या	130
कुर्की के अधीन सम्पत्तियों का मूल्य (रू0 लाख में)	177341.20
पुष्ट अनंतिम कुर्की आदेशों की संख्या	57
न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए गए अनंतिम कुर्की आदेशों के अंतर्गत परिसंपत्तियों का मूल्य (रू0 लाख में)	139539.21
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	7
मामलों की संख्या जिनमें अभियोजन की शिकायत दायर की गई	55

कार्यान्वित करता है।

ग. वर्ष 2013–14 के दौरान फेमा, फेरा एवं पीएमएलए के प्रमुख सांख्यिकीय आंकडे

घ. ई–गवर्नेंस के क्षेत्र में उपलब्धियॉ

प्रवर्तन निदेशालय, मुख्यालय कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के अपने–अपने एलएएन हैं, जो एनआईसीनेट डब्यूएएन से जुड़ा है, प्रवर्तन निदेशालय मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय पत्र एक्सेल शीट और ग्राफ तैयार करने जैसी प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे कार्यालय आटोमेशन टूल का इस्तेमाल करते हैं।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आरंभ की गई कुछ ई–गवर्नेंस गतिविधियाँ निम्नानुसार हैं:–

i) **वेबसाइट–** निदेशालय की वेबसाइट में हिंदी और अंग्रेजी में सामग्री डाली गई है, जिसमें नागरिक इस कार्यालय से संबंधित सूचना, प्रवर्तित विभिन्न अधिनियमों और अन्य संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

ii) **एफटीएस–** प्रवर्तन निदेशालय मुख्यालय कार्यालय में फाइल संचलन की मॉनीटरिंग के लिए एक फाइल ट्रैकिंग प्रणाली कार्यान्वित की गई है।

iii) **कॉम्प डीओ–** अपने कार्मिकों के वेतन प्रबंध के लिए एक पे रोल प्रणाली कार्यान्वित की गई है।

iv) **ई–मेल–** कार्मिकों को एनआईसी ईमेल आईडी प्रदान की गई है।

v) **वीडियो कॉफ्रेंसिंग–** निदेशालय में एक वेब आधारित वीडियो कॉफ्रेंसिंग प्रणाली आरंभ की गई है।

vi) **मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर)–** फेरा, फेमा और पीएमएलए से संबंधित मामलों की मासिक प्रगति रिपोर्ट के संबंध में सांख्यिकीय सूचना की प्रविष्टि तथा समेकन के लिए एक वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित किया गया है।

vii) **मासिक समेकित प्रपत्र (एमआईपी)–** पीएमएलए के लिए मासिक समेकित प्रपत्र से संबंधित सूचना की प्रविष्टि तथा समेकन के लिए एक वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित किया गया है।

viii) **कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस)–** यह किसी कर्मचारी की विभिन्न रिपोर्टों के भंडारण, प्रक्रिया और सृजन हेतु एक वेब आधारित एप्लीकेशन है। इसमें किसी कर्मचारी के मौजूदा पद, तैनाती स्थल, निदेशालय में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख, जन्म और सेवानिवृत्ति की तारीख, भर्ती की पद्धति, अगली पदोन्नति की तारीख और पद, संस्वीकृत पद की सूचना, निदेशालय और इसके अधीनस्थ, कार्यालयों में कार्यरत पद और खाली पड़े पदों की सूचना प्रदान की जाती है।

ix) **विधिक मामले मॉनीटरिंग प्रणाली (एलसीएमएस)–** यह उच्चतम न्यायालय, पीएमएलए अधिकरण, पीएमएलए न्याय निर्णयन प्राधिकारी और पीएमएलए विशेष न्यायालय में निदेशालय अथवा पार्टी द्वारा दायर विधिक मामलों की स्थिति को मॉनीटर करने के लिए एक वेब आधारित एप्लीकेशन है। यह याचिका संख्या, याचिकाकर्ता का नाम, प्रवर्तन निदेशालय की भूमिका, संबंधित जोन का नाम, ईसीआईआर संख्या, पीएओ संख्या आदि जैसी सूचना लेता है। यह पिछली सुनवाई की तारीख पर मामले की स्थिति/प्रगति का रिकार्ड रखता है।

x) **प्रवर्तन निदेशालय अपराधी निगरानी प्रणाली (ई–डोट)–** टी–3 फाइल की स्थिति से आरंभ होकर मामलों से संबंधित फेमा और पीएमएलए के लिए डाटाबेस लेने और तैयार करने की दृष्टि से फेमा और पीएमएलए मामले हेतु एक वेब आधारित एप्लीकेशन तैयार किया गया है। यह एएसपी में

विकसित किया गया है। प्रयोक्ताओं के लिए प्रयोक्ता के अनुकूल अंतरापृष्ठ मुहैया करवाने के लिए नेट प्रौद्योगिकी तथा भंडारण और डाटा हेतु एक बैकएंड डाटाबेस के रूप में एसक्यूएल सर्वर। फार्मों को प्रयोक्ता अनुकूल अंतरापृष्ठ से डिजाइन किया गया है।

xi) <u>सूचना पट्ट एप्लीकेशन–</u> विभिन्न परिपत्रों /डाउनलोड योग्य फॉर्मों/प्रशिक्षण संबंधी सूचना/फेमा/पीएमएलए के तहत महत्वपूर्ण निर्णयों आदि को अपलोड/प्रकाशन/ देखने के लिए एक नया एप्लीकेशन 'नोटिस बोर्ड' विकसित किया गया है। अपलोड की गई सूचना को प्रमुख श्रेणी और उसके बाद उप श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। लॉगिन करने पर, यह सभी प्रमुख श्रेणियों की सूची प्रदर्शित करेगा और जो इस प्रमुख श्रेणी के लिए अपलोड की गई सूचना का ब्योरा प्रदर्शित करने के लिए हाइपरलिंक्ड में बदल जाएगा। यह एप्लीकेशन एक भूमिका पर आधारित है और इसमें चार पूर्व निर्धारित रोल अर्थात् 'एडमिन', 'एंट्री', 'पब्लिश', 'व्यू' हैं। इसमें श्रेणी, परिपत्र वर्ष, परिपत्र संख्या और विषय जैसे विभिन्न पैरामीटर्स पर होने वाले प्रश्नों के लिए आगे और विकल्प है।

ड. शिकायत सुधार तंत्र

लोक/स्टाफ शिकायतों के निवारण के लिए मुख्यालय कार्यालय तथा जोनल/उप जोनल कार्यालय में शिकायत अधिकारी नामित किए गए हैं तथा शिकायतों को दूर करने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाती है।

च. जेंडर बजटिंग/महिला सशक्तिकरण:

कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में इस निदेशालय की एक महिला कर्मचारी से एक शिकायत प्राप्त होने से संबंधित मामला, यौन उत्पीड़न निवारण शिकायत समिति गठित की गई है।

छ. निःशक्तता क्षेत्र और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए किए गए कार्यकलाप

निदेशालय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का अनुवर्तन और अनुपालन सुनिश्चित करता है। वर्ष 2013–14 में सीधी भर्ती द्वारा 12 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रत्याशियों को नियुक्त किया गया तथा 2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की पदोन्नति की गई।

ज. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

वर्ष 2013–14 के दौरान, निदेशालय में 361 सूचना के अधिकार संबंधी आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनका निर्धारित अवधि के भीतर तत्परता से निपटान कर दिया गया था ।

झ. तिमाही क्षेत्रीय अधिकारी सम्मेलन

निदेशालय द्वारा वर्ष 2013–14 के दौरान निदेशक महोदय की अध्यक्षता में 4 तिमाही क्षेत्रीय अधिकारी सम्मेलनों का दिल्ली, मुम्बई एवं बैंगलूरू में सफल आयोजन किया गया। इन तिमाही क्षेत्रीय अधिकारी सम्मेलनों में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई और निदेशालय से संबधित कुछ अहम मुद्दों जैसे की क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए लक्ष्य निर्धारण, स्थापित लक्ष्यों की नियमित समीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सम्मुख की गई समस्याओं का निवारण आदि पर निर्णय लिए गए।

निरंजन सुबुधि
सहायक निदेशक

राजभाषा हिन्दी और इसके विकास से जुड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रम

भारतवर्ष के गौरवपूर्ण इतिहास में अनेक भाषाओं का बोल–बाला रहा। इनमें से कई भाषाएं एक निश्चित समय, क्षेत्र तथा एक सीमा तक सिमट कर रह गई। हिन्दी ही एकमात्र ऐसी भाषा के रूप में उभरी, जो भारत को एकसूत्र में बांधने में कामयाब रही। हिन्दी भाषा के साहित्य पर यदि समुचित परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि हिन्दी भाषा का इतिहास अत्यंत विस्तृत व प्राचीन है। हिन्दी भाषा का इतिहास वस्तुतः वैदिक काल से आरम्भ होता है। यह कहना ही ठीक होगा कि वैदिक भाषा ही हिन्दी है। इस भाषा का दुर्भाग्य रहा है कि युग–युग में इसका नाम परिवर्तित होता रहा है। कभी 'वैदिक', कभी 'संस्कृत', कभी 'प्राकृत', कभी 'अपभ्रंश' और अब – हिन्दी। यह कहा जा सकता है कि वैदिक संस्कृत और हिन्दी में तो जमीन–आसमान का अन्तर है। पर ध्यान देने योग्य है हिब्रू, रूसी, चीनी, जर्मन और तमिल आदि जिन भाषाओं को 'बहुत पुरानी' बताया जाता है, उनके भी प्राचीन और वर्तमान रूपों में जमीन–आसमान का ही अन्तर है। भारतीय भाषाओं में से हिन्दी भाषा के स्वरूप को जन–जन ने संचार का माध्यम बनाया और हिन्दी धीरे–धीरे भारत की संपर्क भाषा के रूप में विकसित हो गई ।

राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास की भूमिका भी आजादी से पहले ही बन गई थी, हिन्दी को भारत के विभिन्न प्रांतों के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया और हिन्दी उत्तर से निकल कर संपूर्ण भारत में फैलती चली गई।

स्वतंत्रता के पश्चात संविधान निर्माताओं ने भारत की एक राजभाषा बनाए जाने का प्रस्ताव किया और दिनांक **14.9.1949** को संविधान सभा ने हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इस दिन को अब हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिनांक **26.1.1950** संविधान लागू हुआ। तदनुसार उसमें किए गए भाषाई प्रावधान (अनुच्छेद 120, 210 तथा 343 से 351) लागू हुए ।

राजभाषा हिन्दी के बारे में स्वतंत्रता के पश्चात अब तक हुए घटनाक्रम के संबंध में महत्वपूर्ण तिथियाँ और जानकारियाँ निम्नानुसार हैं:–

1952

शिक्षा मंत्रालय द्वारा हिन्दी भाषा का प्रशिक्षण ऐच्छिक तौर पर प्रारम्भ किया गया ।

27.5.1952

राज्यपालों/उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों में अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा व भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप के अतिरिक्त अंकों के देवनागरी स्वरूप का प्रयोग प्राधिकृत किया गया ।

जुलाई, 1955

हिन्दी शिक्षण योजना की स्थापना । केन्द्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, संबद्ध व अधीनस्थ कर्मचारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण।

7.6.1955

बी.जी. खेर आयोग का गठन (संविधान के अनुच्छेद 344 (1) के अन्तर्गत)

अक्तूबर,1955

गृह मंत्रालय के अन्तर्गत हिन्दी शिक्षण योजना प्रारम्भ की गई ।

3.12.1955

संविधान के अनुच्छेद 343 (2) के परन्तुक द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ के कुछ कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का प्रयोग किए जाने के आदेश जारी किए गए ।

31.7.1956

खेर आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत की गई ।

1957

खेर आयोग की रिपोर्ट पर विचार हेतु तत्कालीन गृह

मंत्री श्री गोविन्द वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संसदीय समिति का गठन ।

8.2.1959

संविधान के अनुच्छेद 344 (4) के अन्तर्गत संसदीय समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत की गई ।

सितम्बर, 1959

संसदीय समिति की रिपोर्ट पर संसद में बहस। तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा आश्वासन दिया गया कि अंग्रेजी को सह–भाषा के रूप में प्रयोग में लाए जाने हेतु कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जाएगा और न ही इसके लिए कोई समय–सीमा ही निर्धारित की जाएगी। भारत की सभी भाषाएं समान रूप से आदरणीय हैं और ये हमारी राष्ट्रभाषाएँ हैं ।

1960

हिन्दी टंकण, हिन्दी आशुलिपि का अनिवार्य प्रशिक्षण आरम्भ किया गया ।

27.4.1960

संसदीय समिति की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति के आदेश जारी किए गए जिनमें हिन्दी शब्दावलियों का निर्माण, संहिताओं व कार्यविधिक साहित्य का हिंदी अनुवाद, कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण, हिंदी प्रचार, विधेयकों की भाषा, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों की भाषा आदि मुद्दे हैं ।

10.5.1963

अनुच्छेद 343 (3) के प्रावधान व श्री जवाहर लाल नेहरू के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए राजभाषा अधिनियम बनाया गया। इसके अनुसार हिन्दी संघ की राजभाषा व अंग्रेजी सह–राजभाषा के रूप में प्रयोग में लाई गई।

5.9.1967

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय हिन्दी समिति का गठन किया गया। यह समिति सरकार की राजभाषा नीति के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा–निदेश देने वाली सर्वोच्च समिति है। इस समिति में प्रधानमंत्री जी के अलावा नामित केन्द्रीय मंत्री, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद तथा हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के विद्वान सदस्य के रूप में शामिल किए जाते हैं ।

16.12.1967

संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प पारित किया गया जिसमें हिन्दी के राजकीय प्रयोजनों हेतु उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए अधिक गहन और व्यापक कार्यक्रम तैयार करने, प्रगति की समीक्षा के लिए वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने, हिन्दी के साथ –साथ 8वीं अनुसूची की अन्य भाषाओं के समन्वित विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करने, त्रिभाषा सूत्र को अपनाये जाने, संघ सेवाओं के लिए भर्ती के समय हिन्दी व अंग्रेजी में से किसी एक के ज्ञान की आवश्यकता अपेक्षित होने तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उचित समय पर परीक्षा के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की बात कही गई है । (संकल्प 18.8.1968 को प्रकाशित हुआ)

1967

सिंधी भाषा संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित की गई ।

8.1.1968

राजभाषा अधिनियम, 1963 में संशोधन किए गए। तदनुसार धारा 3 (4) में यह प्रावधान किया गया कि हिंदी में या अंग्रेजी भाषा में प्रवीण संघ सरकार के कर्मचारी प्रभावी रूप से अपना काम कर सकें तथा केवल इस आधार पर कि वे दोनों ही भाषाओं में प्रवीण नहीं हैं, उनका कोई अहित न हो। धारा 3 (5) के अनुसार संघ के राजकीय प्रयोजनों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त कर देने के लिए आवश्यक है कि सभी राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा (जिनकी राजभाषा हिंदी नहीं है) ऐसे संकल्प पारित किए जाएं तथा उन संकल्पों पर विचार करने के पश्चात अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग समाप्त करने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा संकल्प पारित किया जाए।

1968

राजभाषा संकल्प 1968 में किए गए प्रावधान के अनुसार वर्ष 1968–69 से राजभाषा हिन्दी में कार्य करने के लिए विभिन्न मदों के लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा इसके लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया गया ।

1.3.1971

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन ।

1973

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के दिल्ली स्थित मुख्यालय में एक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना ।

1974

तीसरी श्रेणी के नीचे के कर्मचारियों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को छोड़कर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रणाधीन निगमों, उपक्रमों, बैंकों आदि के कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए हिन्दी भाषा, टंकण एवं आशुलिपि का अनिवार्य प्रशिक्षण ।

जून, 1975

राजभाषा से संबंधित संवैधानिक, विधिक उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु राजभाषा विभाग का गठन किया गया।

1976

राजभाषा नियम बनाए गए।

1976

संसदीय राजभाषा समिति का गठन। तब से अब तक समिति ने अपनी रिपोर्ट के 8 भाग प्रस्तुत किए हैं जिनमें से प्रथम 7 पर राष्ट्रपति के आदेश जारी हो गए हैं। आठवें खण्ड में की गई संस्तुतियों पर मंत्रालयों व राज्य सरकारों की टिप्पणी प्राप्त की जा रही है ।

1977

श्री अटल बिहारी वाजपेयी, तत्कालीन विदेश मंत्री ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को हिंदी में संबोधित किया ।

1981

केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग का गठन किया गया ।

25.10.1983

केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों, सरकारी उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों में यांत्रिक और इलैक्ट्रोनिक उपकरणों द्वारा हिन्दी में कार्य को बढ़ावा देने तथा उपलब्ध द्विभाषी उपकरणों के प्रचार–प्रसार के उद्देश्य से राजभाषा विभाग में तकनीकी कक्ष की स्थापना की गई ।

21.8.1985

केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान का गठन कर्मचारियों / अधिकारियों को हिन्दी भाषा, हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि के पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया गया।

1986

कोठारी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट 1968 में पहले ही यह सिफारिश की जा चुकी थी कि भारत में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं होनी चाहिए । उच्च शिक्षा के माध्यम के संबंध में नई शिक्षा नीति (1986) के कार्यान्वयन – कार्यक्रम में कहा गया – ''स्कूल स्तर पर आधुनिक भारतीय भाषाएं पहले ही शिक्षण माध्यम के रूप में प्रयुक्त हो रही हैं। आवश्यकता इस बात की है कि विश्वविद्यालय के स्तर पर भी इन्हें उत्तरोत्तर माध्यम के रूप में अपना लिया जाए। इसके लिए अपेक्षा यह है कि राज्य सरकारें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श करके, सभी विषयों में और सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में उत्तरोत्तर आधुनिक भारतीय भाषाओं को अपनाएं।''

1986–87

इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार प्रारम्भ किए गए।

9.10.1987

राजभाषा नियम, 1976 में संशोधन किए गए।

1988

विदेश मंत्री के रूप में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में तत्कालीन विदेश मंत्री श्री नरसिंह राव हिंदी में बोले।

1992

कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली भाषाएं संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित की गई ।

14.9.1999

संघ की राजभाषा हिंदी की स्वर्ण जयंती मनाई गई।

24.1.2000

राजभाषा विभाग के पोर्टल का लोकार्पण माननीय गृह मंत्री जी द्वारा किया गया जिसमें विभाग से संबंधित विभिन्न जानकारियां द्विभाषिक रूप में उपलब्ध कराई गई।

20.10.2000

राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार वर्ष 2001–02 से आरंभ करने की घोषणा की गई जिसमें निम्न पुरस्कार राशियां हैं रू–

(1) प्रथम प्ररस्कार – 100000 रुपये

(2) द्वितीय प्ररस्कार – 75000 रुपये

(3) तृतीय पुरस्कार – 50000 रुपये

(4) 10 सांत्वना पुरस्कार – 10,000 (प्रत्येक) रुपये

2.9.2003

डॉ. सीता कान्त महापात्र की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जो संविधान की आठवीं अनुसूची में अन्य भाषाओं को सम्मिलित किए जाने तथा आठवीं अनुसूची में सभी भाषाओं को संघ की राजभाषा घोषित किए जाने की साध्यता परखने पर विचार करेगी। समिति ने 14.6.2004 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की।

11.9.2003

मंत्रिमंडल ने एन.डी.ए. तथा सी.डी.एस. की परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों को हिंदी में भी तैयार करने का निर्णय लिया ।

14.9.2003

कंप्यूटर की सहायता से प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ स्तर की हिंदी स्वयं सीखने के लिए राजभाषा विभाग ने कंप्यूटर प्रोग्राम (लीला हिंदी प्रबोध, लीला हिंदी प्रवीण, लीला हिंदी प्राज्ञ) तैयार करवा कर सर्व साधारण द्वारा उसका निशुल्क प्रयोग के लिए उसे राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया है।

8.1.2004

बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में रखा।

22.7.2004

केन्द्रीय सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन /कार्यान्वयन के लिए न्यूनतम हिन्दी पदों के मानक पुनः निर्धारित।

6.9.2004

मातृभाषा विकास परिषद् द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने यह पाया कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के गठन का उद्देश्य हिंदी एवं अन्य आधुनिक भाषाओं के लिए तकनीकी शब्दावली में एकरूपता अपनाया जाना है। यह एकरूपता तकनीकी शब्दावली के प्रयोग के लिए आवश्यक है। उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिया कि आयोग द्वारा बनाई गई तकनीकी शब्दावली भारत सरकार के अंतर्गत एन.सी.ई.आर.टी तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं द्वारा तैयार की जा रही पाठ्य पुस्तकों में प्रयोग में लाई जाए।

14.9.2004

कंप्यूटर की सहायता से तमिल, तेलुगू, मलयालम तथा कन्नड़ भाषाओं के माध्यम से प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ स्तर की हिंदी स्वयं सीखने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार करवा कर उसके निशुल्क प्रयोग के लिए उसे राजभाषा विभाग की वैबसाइट पर उपलब्ध करा दिया ।

20.6.2005

525 हिंदी फॉट, फॉट कोड कनवर्टर, अंग्रेजी – हिंदी शब्दकोश, हिंदी स्पेल चेकर को निशुल्क प्रयोग के लिए

वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया ।

8.8.2005

राष्ट्रीय ज्ञान–विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार का नाम बदल कर राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान–विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार कर दिया गया तथा पुरस्कार राशि बढ़ा कर निम्न प्रकार कर दी गई :–

प्रथम पुरस्कार – रू० 2 लाख

द्वितीय पुरस्कार – रू० 1.25 लाख

तृतीय पुरस्कार – रू० 0.75 लाख

सांत्वना पुरस्कार (10) – रू० 10 हजार प्रत्येक को

यह योजना वर्ष 2004–05 में प्रकाशित पुस्तकों से लागू होगी ।

14.9.2005

कंप्यूटर की सहायता से बांग्ला भाषा के माध्यम से प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ स्तर की हिंदी स्वयं सीखने के लिए प्रोग्राम तैयार करवा कर राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया।

मंत्र–राजभाषा अँग्रेज़ी से हिंदी अनुवाद सॉफ्टवेयर प्रशासनिक एवं वित्तीय क्षेत्रों के लिए प्रयोग एवं डाउनलोड हेतु राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया।

14.9.2006

कंप्यूटर की सहायता से उड़िया, असमी, मणिपुरी तथा मराठी भाषा के माध्यम से प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ स्तर की हिंदी स्वयं सीखने के लिए प्रोग्राम तैयार करवा कर राजभाषा विभाग की वैबसाइट पर उपलब्ध करा दिया।

मंत्र–राजभाषा अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद सॉफ्टवेयर लघु उद्योग एवं कृषि क्षेत्रों के लिए प्रयोग एवं डाउनलोड हेतु राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया ।

14.9.2007

कंप्यूटर की सहायता से नेपाली, पंजाबी, कश्मीरी तथा गुजराती भाषा के माध्यम से प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ स्तर की हिंदी स्वयं सीखने के लिए प्रोग्राम तैयार करवा कर राजभाषा विभाग की वैबसाइट पर उपलब्ध करा दिया ।

मंत्र–राजभाषा अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद सॉफ्टवेयर सूचना–प्रौद्योगिकी एवं स्वास्थ्य सुरक्षा क्षेत्रों के लिए प्रयोग एवं डाउनलोड हेतु राजभाषा विभाग की वैबसाइट पर उपलब्ध करा दिया ।

श्रुतलेखन–राजभाषा (हिंदी स्पीच से हिंदी टेक्सट) अंतिम वर्जन जन–प्रयोग के लिए बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध है ।

इस तरह से केन्द्रीय सरकार की सरकारी काम–काज में प्रयोग की जाने वाली हिन्दी भाषा समय के साथ–साथ विकास चक्र के रथ पर निरंतर आगे बढ़ रही है। अब प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी दिवस का भी आयोजन किया जाता है। यह आयोजन विदेशों में आयोजित किया जा रहा है ताकि समूचा विश्व हिन्दी भाषा के महत्व और विशेषता से रूबरू हो सके। वैश्विक आधार पर हिन्दी एक नए व्यावसायिक रूप में सामने आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कंपनियाँ भारतीय ग्राहकों में अपने उत्पाद बेचने के लिए विज्ञापनों आदि में हिन्दी का सहारा ले रही हैं और हिन्दी के सहारे उनके उत्पादों की बिक्री में इजाफा हो रहा है।

राजभाषा होने के नाते केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के बढ़ रहे प्रचार–प्रसार के अलावा, अन्य माध्यमों से भी हिन्दी की प्रगति की रफ्तार को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि हिन्दी भारत की ही नहीं अपितु विश्व की बड़ी व्यावसायिक भाषा का स्थान प्राप्त कर लेगी। मेरी शुभकामनाएँ मेरी मातृभाषा हिन्दी के साथ हैं। जय हिंद। जय भारत।

बालकिशन

वरिष्ठ अनुवादक

हिन्दी दिवस की प्रासंगिकता

प्राचीन काल से ही भारत पर विदेशी आक्रमण होते रहे हैं। इसके कारण कई शताब्दियों तक देश गुलाम रहा। मुस्लिम शासन के दौरान तत्कालीन शासकों की इच्छानुसार उर्दू और फारसी राजकाज की भाषा बनी। उसके बाद अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई तो अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में थोपा गया। इस संदर्भ में मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि किसी पंथ या समाज को गुलाम बनाए रखना हो तो उसकी भाषा और संस्कृति पर कुठाराघात किया जाता है। इस देश में गुलामी के लम्बे दौर में कुछ ऐसा ही कहर बरपा। देश के आजाद होने के बाद 1949 को संविधान में हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी और सरदार पटेल आदि नेताओं ने हिन्दी के व्यापक महत्व को ध्यान में रखकर इसे जनजागरण का माध्यम बनाया। चूंकि कई शताब्दियों के बाद जनभाषा हिन्दी को राजभाषा का दर्जा मिला और प्रशासनिक तंत्र में आजादी के बाद भी 'अंग्रेजी' सरकार के कामकाज की प्रमुख भाषा के रूप प्रयोग में लाई जाती रही, इसलिए राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के प्रति जागरूकता तथा प्रयोग में गति लाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/ विभागों/कार्यालयों/ उपक्रमों और बैंको आदि में प्रतिवर्ष 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस मनाया जाने लगा। समय के साथ–साथ हिन्दी दिवस का विस्तार करते हुए, 'हिन्दी सप्ताह,' 'हिन्दी पखवाड़ा' और 'हिन्दी माह' मनाए जाने लगे हैं। दरअसल इस अवसर पर राजभाषा हिन्दी को उसका उपयुक्त स्थान दिलाने के लिए हमें अथक प्रयत्न करने के लिए कृत संकल्प होना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत हिन्दी दिवस संबंधित आयोजनों पर बहुत से लोग सवाल उठाने लगे हैं। कहा जाता है कि यह आयोजन केवल रस्म अदायगी ही बनकर रह गया है। इससे हिन्दी का विकास होने वाला नहीं है। इसके लिए फिजूलखर्ची की जाती है और वर्ष में एक बार हिन्दी दिवस की आड़ में कुछ कार्यक्रमों का आयोजन कर कर्तव्य की इतिश्री मान ली जाती है।

ऐसे में एक कहावत याद आती है कि 'न संभलोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में।' दुनिया भर के शिक्षाविदों, विचारकों आदि का यह मानना है कि जितनी सहजता से हम अपनी भाषा में भावाभिव्यक्ति कर सकते हैं उतनी किसी अन्य भाषा में नहीं। फिर भी हम लकीर के फकीर बने हुए हैं। पिछले एक हजार वर्षों से हिन्दी का देश व्यापक प्रयोग हो रहा है।

यह सही है कि राजभाषा के रूप में हिन्दी को उसका अपेक्षित रुतबा नहीं मिल पाया है परन्तु सच्चाई यह भी है कि वैश्वीकरण के चलते हिन्दी का महत्व बढ़ा है। मीडिया में हिन्दी चैनलों की भरमार हिन्दी की बढ़ती हुई लोकप्रियता का स्पष्ट उदाहरण है। उल्लेखनीय है कि दक्षिण भारत के राज्यों में हिन्दी के प्रति कटुता की अपेक्षा सद्भाव व प्रेम बढ़ा है। हिन्दी का उज्ज्वल पक्ष यह है कि यह लोगों के दिलों की भाषा है।

ऐसे समारोहों के आयोजन से राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीयता को बल मिलता है। राजभाषा हिन्दी के प्रति जन जागृति लाने के लिए श्रद्धा, प्रेम और देश भक्तिभाव से 'हिन्दी दिवस' मनाने की सख्त जरूरत है। हिन्दी के प्रचार–प्रसार से जुड़े लोगों और सरकारी कार्मियों के लिए 14 सितम्बर एक सांस्कृतिक पर्व है। इससे पारस्परिक सद्भावना सुदृढ़ होती है। विशेषकर स्कूलों में तो इसका आयोजन अवश्य होना चाहिए जिससे कि बच्चे यह जान सकें कि दुनिया में भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है, जहां राष्ट्र की स्वभाषा हिन्दी को केवल कागजों में ही राजभाषा बनाकर रखा गया है और व्यवहार में अंग्रेजी का ही प्रयोग होता है। वस्तुतः हमें गांधी जी के इस कथन पर चिंतन– मनन की आवश्यकता है कि "राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है।" क्या हमारे नीति नियंता इस और ध्यान देंगे? बरहाल हिन्दी दिवस एक पावन पर्व है और इसे मनाना प्रत्येक भारतवासी का परम कर्तव्य है।

प्रीतम सिंह
वरिष्ठ अनुवादक
दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय

प्रवर्तन दिवस 1 मई, 2014

गत वर्ष की तरह, निदेशालय ने अपना 58 वां स्थापना दिवस 1 मई, 2014 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में माननीय डॉ0 राजन कटोच, निदेशक की अध्यक्षता में 'प्रवर्तन दिवस' के रूप में मनाया।

इसी दिन अर्थात् 1 मई, 1956 को इस निदेशालय की स्थापना हुई थी जब विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (फेरा 1947) के अंतर्गत विनियम नियंत्रण के उल्लंघन को रोकने के लिए आर्थिक कार्य विभाग के नियंत्रण में 'प्रवर्तन इकाई' गठित की गई। वर्ष 1957 में इस इकाई का प्रवर्तन निदेशालय के रूप में नामकरण किया गया।

प्रवर्तन दिवस समारोह में भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी मुख्य अतिथि थे। विदेशी अतिथियों में श्री ब्लादिमीर निचेव, अध्यक्ष, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) तथा श्री मारियों माइकल एफेन्ट्रेंजर, आपराधिक मामलों में अंतरराष्ट्रीय परस्पर विधिक सहयोग संधियों के प्रमुख वार्ताकर्ता, न्याय विभाग, स्वीज कंफिडरेशन थे। इसके अलावा राजस्व सचिव, विशेष निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय के वर्तमान तथा भूतपूर्व अधिकारीगण मौजूद थे।

अपने स्वागत भाषण में निदेशक महोदय ने आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया तथा आभार प्रकट किया। निदेशक महोदय ने बताया कि श्रम शक्ति की भारी कमी के बावजूद निदेशालय ने जांच प्रक्रियाओं तथा अन्य क्षेत्रों में अपना सर्वोत्तम कार्यनिष्पादन रिकार्ड किया है। वर्ष 2013–14 में हमने 1836 फेमा तथा पीएमएलए संबंधी जांच कार्यों को पूरा किया जबकि पिछले वर्ष 1288 मामलों की जांच पूरी की गई थी। इस अवधि के दौरान फेमा के लंबित न्यायाधीकरण मामलों में व्यापक कमी हुई है। पीएमएलए के अंतर्गत वर्ष 2012–13 में 65 कुर्कियाँ की गई थीं, वर्ष 2013–14 के दौरान इन्हें दुगना करके 127 कर दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जब्त की गई कुल परिसंपतियों का मूल्य 5300 करोड़ रूपए से अधिक है।

प्रवर्तन दिवस के अवसर पर निदेशालय के 10 कर्मिकों को उनके उत्कृष्ट कार्य निष्पादन और सराहनीय सेवा के लिए पुरस्कृत किया गया। बैंगलौर क्षेत्रीय कार्यालय को वर्ष 2013–14 के लिए सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय कार्यालय घोषित किया गया। पिछले वर्ष प्रवर्तन दिवस–2013 के अवसर पर सर्व श्री प्रकाश जोसेफ (उप निदेशक), के. सी. अब्राहम (सहायक निदेशक), डी.के. सिंह (सहायक निदेशक), टी जोसेफ (प्रवर्तन अधिकारी), सी.एस.प्रकाश नारायणन (प्रवर्तन अधिकारी), बी रमेश (प्रवर्तन अधिकारी), विजय सिंह (सहायक) और बी.एल. मारवड (स्टाफ कार ड्राईवर) को उनके उत्कृष्ट कार्य निष्पादन और सराहनीय सेवा के लिए पुरस्कृत किया गया।

इस वर्ष 2014 में निरंजन सिंह (सहायक निदेशक), दिलीप कुमार यादव (सहायक निदेशक), श्रीमती स्नेह लता ग्रोवर (सहायक निदेशक), देबब्रत कार (सहायक निदेशक), श्री सी.विजय कुमार (सहायक निदेशक), श्री विकास मेहता (सहायक निदेशक), श्री ए. चन्द्रशेखरण (सहायक निदेशक), श्री अक्षय कुमार सिन्हा (प्रवर्तन अधिकारी), वेन्कटेश आर. अय्यर (सहायक) और श्री गोविन्द बहादुर (स्टाफ कार ड्राईवर) को उनके उत्कृष्ट कार्य निष्पादन और सराहनीय सेवा के लिए पुरस्कृत किया गया था।

इस अवसर पर राजस्व सचिव ने अपने भाषण

में कहा कि आज प्रवर्तन निदेशालय देश की एक प्रमुख जाँच एजेंसी है। यह एक ऐसे संगठन के रूप में विकसित हो गया है जिसे निःसंदेह रूप से उस समय कोई कार्य सौंपा जाता है जब न्यायोचित, निष्पक्ष तथा व्यापक जांच की आवश्यकता होती है। प्रवर्तन निदेशालय ने वह ख्याति प्राप्त कर ली है जो देश के भीतर और बाहर विश्वास और सम्मान को प्रोत्साहित करती है। निदेशालय अपनी उपलब्धियों के लिए प्रशंसा का पात्र है। इस शुभ अवसर पर यह उपयुक्त होगा यदि इस निदेशालय के अधिकारी और कर्मचारी स्वयं को पुनः समर्पित करें और शपथ लें कि वे आगामी वर्षों में और बेहतर लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे।

राष्ट्रपति महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि विदेशी मुद्रा बाजार के सुव्यवस्थित विकास और अनुरक्षण में प्रवर्तन निदेशालय की ऐतिहासिक भूमिका है। आज के वैश्विक, आर्थिक और सुरक्षित वातावरण में धनशोधन और आतंकवाद वित्तपोषण के विरूद्ध प्रभावपूर्व उपायों को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। सीमापार से धनशोधन और आतंक वित्तपोषण से निपटने के लिए अंतराष्ट्रीय सहयोग अनिवार्य है। निदेशालय को अन्य देशों की जांच एजेंसियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करने के अपने प्रयासों में तेजी लानी चाहिए। हमारे अधिकारियों को अन्य देशों की सर्वोत्तम जांच तकनीकों को सीखना चाहिए। निदेशालय को धन प्रवाह के बारे में विशेषता हासिल करने के लिए संचार, तकनीकी अवसंरचना और कंप्यूटर फोरेंसिक में अत्याधुनिक प्रौधोगिकी को अपनाना चाहिए। निदेशालय को धन व श्रमशक्ति, तकनीक और विधिक विशेषता की दृष्टि से प्रर्याप्त संसाधन उपलब्ध होने चाहिए ताकि यह धनशोधन के विरूद्ध कुशलता से लड़ाई कर सके। निदेशालय में कार्य का वातावरण इस प्रकार का होना चाहिए कि सर्वोत्तम लोग इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित हों और कार्य कर सकें। महामहिम ने निदेशालय के उन अधिकारियों को भी बधाई दी जिन्हें उनके उत्कृष्ट और असाधारण सेवा के लिए सराहा गया तथा विश्वास व्यक्त किया कि ये अधिकारी निदेशालय में अन्य अधिकारियों के लिए आदर्श की भूमिका अदा करेंगे।

प्रवर्तन दिवस के अन्त में सांयकाल सत्र में निदेशक महोदय ने प्रवर्तन अधिकारियों के साथ ओपन हाउस विचार विमर्श किया, जिसमें सहायक प्रवर्तन अधिकारियों से लेकर विशेष निदेशक तक सभी अधिकारियों ने भाग लिया। इस विचार विमर्श के दौरान निदेशक महोदय का ध्यान विभिन्न कार्यालयों तथा अधिकारियों द्वारा महसूस की जाने वाली विभिन्न समस्याओं की तरफ आकर्षित किया गया। जिनके फलस्वरूप कुछ समस्याओं का यथाशीध्र समाधान भी हो गया, जिसमें मुख्य रूप से सभी प्रवर्तन अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नवीन पहचान–पत्र जारी किए गए। कुछ उप–क्षेत्रीय कार्यालयों का वेतन नियमित किया गया। इस ओपन हाउस विचार विमर्श के कारण मुख्यालय, अन्य कार्यालयों तथा अधिकारियों के बीच का फासला काफी हद तक खत्म हो गया और अधिकारियों के बीच में नए विश्वास और जोश का संचार हुआ।

प्रवर्तन दिवस समारोह प्रवर्तन निदेशालय के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ है। इसके सफल आयोजन से निदेशालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों में आपसी विश्वास और भाइचारे का भाव उदय हुआ है। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के मध्य एक नई ऊर्जा और जोश का संचार हुआ। इसके सफल और सार्थक आयोजन के लिए निदेशक महोदय एवं सभी संबंधित अधिकारी अभिनन्दन के पात्र है। हम सभी आशा करते हैं कि भविष्य में भी हर वर्ष इसी तरह प्रवर्तन दिवस का आयोजन किया जाएगा।

मोहन सिंह
सहायक निदेशक

प्रवर्तन निदेशालय में सतर्कता प्रणाली

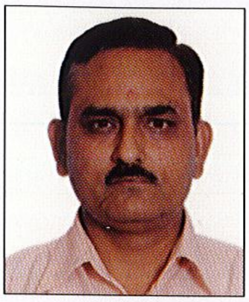

प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार की एक प्रमुख वित्तीय जाँच एजेंसी के रूप में, भारत के संविधान और विधियों के कठोर अनुपालन के साथ कार्य करता है। प्रवर्तन निदेशालय की वेबसाइट पर हमारे आधारभूत मूल्य में सत्यनिष्ठा एक अभिन्न मद है। सत्यनिष्ठा न केवल कार्य में परंतु हमारे नैतिक सिद्धांत व व्यक्तिगत आचारण में भी बहुत महत्व रखती है। प्रवर्तन निदेशालय सदा से ही अपने अधिकारियों की सत्यनिष्ठा व कार्य के हेतु लगन के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता रहा है। अधिकारियों व कर्मचारियों की इतनी कम संख्या होने के बावजूद, प्रवर्तन निदेशालय ने देश की प्रमुख जाँच एजेंसियों में अपना स्थान बनाया है। यह इस निदेशालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की अथक मेहनत व प्रयासों से ही संभव हुआ है। आज निदेशालय द्वारा कई छोटे बड़े मामलों की जाँच निष्पक्ष रूप में की जा रही है। जिसको हमारी सर्वोच्च न्यायालय भी सराहती है। अपने अधिकारियों व कर्मचारियों में इस क्षमता को जगाने के लिये उच्च अधिकारियों विशेषकर निदेशक महोदय व विशेष निदेशक महोदयों का विशेष सहयोग है। इसी संदर्भ में पिछले कुछ वर्षों में निदेशालय की सतर्कता प्रणाली को भी नया रूप दिया गया। सतर्कता तंत्र का विकेन्द्रीकरण किया गया है। जिसके तहत सतर्कता शक्तियाँ अलग – अलग क्षेत्रीय विशेष निदेशकों व संयुक्त निदेशकों को हस्तांतरित कर दी गयी है। इस संदर्भ मे मुख्यालय सतर्कता अनुभाग ने एक परिपत्र दिनांक 17.10.2013 के तहत सतर्कता प्रणाली का पूर्ण विकेन्द्रीकरण कर दिया था तथा समय – समय पर इसमें संशोधन करके इसको और स्पष्ट व प्रभावी बनाया गया है। मुख्यालय सतर्कता अनुभाग, मुख्यालय में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों के संबंध मे सतर्कता मामलों के कार्य के अलावा अलग – अलग क्षेत्रीय कार्यालयों, आंचलिक क्षेत्रीय व उप आंचलिक कार्यालयों में तैनात अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट व अचल संपत्ति रिटर्न संबंधी कार्यो का निष्पादन करता है। निदेशालय के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की सतर्कता मंजूरी मुख्यालय सतर्कता अनुभाग के द्वारा ही दी जाती है। मुख्यालय सतर्कता अनुभाग द्वारा सतर्कता मंजूरी समयबद्ध तरीके से दी जाती है।

मुख्यालय सतर्कता अनुभाग, निदेशक महोदय के मार्गदर्शन में हर वर्ष सतर्कता सप्ताह के आयोजन कर सभी अधिकारियो को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाता है। सतर्कता अनुभाग समय – समय पर वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) व केन्द्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त आदेशों को अपने अधिकारियों व कर्मचारियों की जानकारी व अनुपालन के लिये प्रेषित करता है। विशेष निदेशक (मुख्यालय) समय–समय पर अलग – अलग क्षेत्रीय कार्यालयों, आंचलिक क्षेत्रीय व उप आंचलिक कार्यालयों का निरीक्षण करके सतर्कता संबंधी विषयों का भी अवलोकन करते है तथा इसकी रिपोर्ट तिमाही बैठक में रखी जाती है। इस तरह प्रवर्तन निदेशालय का सतर्कता प्रणाली पूरी मुस्तैदी, पारदर्शिता एवम् गोपनीयता के साथ कार्यरत है।

वेद प्रकाश वर्मा
सहायक निदेशक

प्रशिक्षण से सशक्तिकरण की ओर

किसी भी संस्थान की सफलता एवम् कार्यकुशलता का मापदंड उसके कर्मचारियों तथा अधिकारियों के ज्ञान, कुशलता, अभिरुचि तथा क्षमताओं द्वारा निर्धारित होता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा कर्मचारियों का ज्ञान संवर्धन एवम् कौशल विकास सुनिश्चित होता है, जो कि उनकी अभिरुचि और कार्य के प्रति उनके समर्पण के स्तर में बढ़ोतरी करता है। इससे न केवल उनके कार्य के स्तर में सुधार होता है अपितु समाज में विभाग की छवि भी उज्ज्वल होती है। इससे कर्मचारियों में उच्चतर कार्यनिष्पादन क्षमता, सहभागिता प्रबंधन और उच्च मनोबल का विकास होता है तथा प्रक्रियाओं में एकरूपता आती है।

प्रवर्तन निदेशालय प्रशिक्षण के माध्यम से सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के कौशल विकास का उद्देश्य रखता है। हमारे प्रवर्तन निदेशक महोदय का मानना है कि प्रशिक्षण के जरिए ही अधिकारियों व कर्मचारियों की आधारभूत दक्षता के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। इसी दृष्टिकोण के अंतर्गत निदेशक महोदय ने वर्ष 2013 और 2014 के लिए एक बेहतरीन सुव्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ करने का निर्देश दिया था।

विगत वर्षों में निदेशालय द्वारा प्रशिक्षण के महत्व को कम अहमियत प्रदान की गई थी। जिससे अधिकारियों में जड़ता की भावना आ गई थी। कई पुराने अधिकारियों से जानकारी प्राप्त हुई थी कि निदेशालय में पदस्थापना के 15 वर्षों के बाद, जब उन्हें पहली बार प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिला तब उन्होंने प्रशिक्षण के महत्व को जाना। मानव स्वभाव है कि एक ही कार्य को वर्षों से करने वाले व्यक्ति के अवचेतन में यह धारणा विकसित हो जाती है कि उसका ज्ञान सम्पूर्ण है, जबकि काल के व्यतीत होने के साथ कई कानूनी उपबंधों की व्याख्या में परिवर्तन हो जाता है, जिससे वर्तमान में अवगत होना जरूरी है यह उद्देश्य सिर्फ प्रशिक्षण के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है।

वर्ष 2013 में प्रवर्तन निदेशालय ने 13 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 361 अधिकारियों ने भाग लिया। परंतु इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रवर्तन निदेशालय के कार्मिकों की संख्या लगभग 650 के आस–पास ही है, प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या को बेहद प्रभावशाली माना जा सकता है ।

वर्ष 2013 में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। प्रतिनियुक्तियों पर आए अधिकारियों, जो इस निदेशालय में नए थे, उन्हें उर्ध्वाधर एकीकृत प्रेरण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। नव नियुक्त सहायक प्रवर्तन अधिकारियों को ए.बी.सी. कार्यक्रम (सहायक प्रवर्तन अधिकारी आधारभूत पाठ्यक्रम कार्यक्रम) के माध्यम से प्रवर्तन निदेशालय की कार्यशैली से अवगत करवाया गया।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालयिक कार्मिकों की कार्य कुशलता को सशक्त बनाने के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, वर्ष, 2013 में फॉरेन्सिक कौशल, न्याय निर्णयन

प्रक्रियाविधि तथा आर्थिक आसूचना पर प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे कई विशेषज्ञ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। नवंबर, 2013 में यू.एन.ओ. डी.सी. द्वारा चोरी की गई परिसंपत्ति वसूली (स्टार प्रशिक्षण) कार्यक्रम आयोजित किया गया था और परिसंपत्ति वसूली प्रक्रियाविधि में छब्बीस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया था।

वर्ष 2014 में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावशाली बनाने पर ध्यान दिया गया है तथा फेमा, पीएमएलए एवं साइबर फॉरेन्सिक आदि पर विभिन्न कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। वर्ष, 2014 में प्रवर्तन निदेशालय के प्रशिक्षण कार्यक्रम का अन्तर्राष्ट्रीयकरण एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धनशोधन अन्वेषण, राष्ट्रीय जोखिम प्रबंधन तथा एफएटीएफ मानदण्डों के अनुरूप प्रबंधन के अनुपालन के बारे में धनशोधन अन्वेषण विभाग, नेपाल के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया था। नेपाल के धनशोधन अन्वेषण विभाग के मध्यम स्तर के अधिकारियों के एक अन्य दल को प्रवर्तन निदेशालय, नई दिल्ली द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। वर्ष 2014 के प्रशिक्षण कैलेंडर में पहले से ही कई अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए गए हैं।

प्रवर्तन निदेशक, डॉ॰ राजन कटोच जी ने विशेष निदेशक, श्री कर्नल सिंह को प्रशिक्षण का विशिष्ट उत्तरदायित्व सौंपा है और उनके मार्गदर्शन में हमने प्रवर्तन निदेशालय में प्रशिक्षण के स्तर में आमूल चूल परिवर्तन एवम् सुधार लाने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त, प्रवर्तन निदेशालय के कार्मिकों को अवसंरचनात्मक और संचार तंत्र सुविधाओं के संबंध में प्रशिक्षण मुहैया करवाने हेतु सरकारी लेखा एवं वित्तीय संस्थान का बड़ा योगदान है।

निदेशालय के अधिकारियों/कर्मचारियों की आधारभूत दक्षता के स्तर को बढ़ाने में प्रशिक्षण कार्यक्रम बड़े प्रभावशाली साबित हुए हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में लोगों से अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली हैं। इसके अतिरिक्त, प्रवर्तन निदेशक के सीधे देख–रेख में प्रवर्तन निदेशालय का प्रशिक्षण प्रभाग, पिछले प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में प्राप्त प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करता है तथा अगले प्रशिक्षण कार्यक्रम को तद्नुसार संशोधित करता है। निदेशालय के प्रशिक्षण कार्यक्रम के मॉडल में सुधार किया जाना, एक निरंतर चलने वाली सतत् प्रक्रिया है। इन्हीं प्रयत्नों के द्वारा निदेशालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करने में सक्षम हो सका है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा सम्पूर्ण भारत वर्ष में पदस्थापित अधिकारियों में व्यक्तिगत संबंधों का विकास हुआ। इससे निदेशालय में अन्तर क्षेत्रीय विभागीय कार्यों में समन्वय भी आसान हुआ है।

हिमांशु कुमार लाल
संयुक्त निदेशक

फेमा और भारतीय रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 का प्रबंध करता है, जिसका उद्देश्य विदेश व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का क्रमिक विकास करना और उसे बनाए रखना है। तद्नुसार, भारतीय रिजर्व बैंक समय–समय पर दिशानिर्देश जारी करता है जो ए.पी. (डी.आई.आर सीरीज) परिपत्रों के रूप के होते है। पिछले एक वर्ष में कुछ प्रमुख विषयों पर जारी किए परिपत्र नीचे दिए गए है:–

1. निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (Liberalised Remittance Scheme & LRS)

निवासी व्यक्ति को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक इस योजना के अंतर्गत अनुमत चालू (current account) अथवा पूंजी खातेगत (capital account) लेनदेनों अथवा दोनों के लिए संयुक्त रूप में प्रति वित्तीय वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निश्चित की गयी सीमा तक के विप्रेषणों की अनुमति प्रदान कर सकते हैं।

14 अगस्त 2013 के **ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 24** में यह निर्णय लिया गया कि उस वक्त की मौजूदा योजना के अंतर्गत प्रति वित्तीय वर्ष 2,00,000 अमरीकी डॉलर की वर्तमान सीमा को तत्काल प्रभाव से घटाकर 75,000 अमरीकी डॉलर प्रति वित्तीय वर्ष (अप्रैल से मार्च) किया जाए। इसके अलावा, उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत विप्रेषणों के संबंध में निम्नलिखित परिवर्तन/स्पष्टीकरण लागू किए गए:–

(i) भारत से बाहर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में किसी अचल संपत्ति के अर्जन के लिए इस योजना का उपयोग नहीं किया जाए।

(ii) मार्जिन ट्रेडिंग, लाटरी आदि जैसी किसी प्रतिबंधित अथवा गैर–कानूनी गतिविधि के लिए अब तक की भांति इस योजना का उपयोग नहीं किया जाएं।

(iii) निवासी व्यक्तियों को अपनी सद्भावी कारोबारी गतिविधियों के लिए 5 अगस्त 2013 से भारत से बाहर उक्त 75,000 अमरीकी डॉलर की सीमा में और 5 अगस्त 2013 की अधिसूचना सं.फेमा. 263/आरबी–2013 में विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत जेवी/डब्ल्यूओएस स्थापित करने की अनुमति दी गयी है।

भारतीय रूपए का विदेशी मूल्य स्थिर होने के पश्चात 3 जून, 2014 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.138 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 75,000 अमरीकी डॉलर की सीमा को बढ़ाकर 1,25,000 अमरीकी डॉलर प्रति वित्तीय वर्ष (अप्रैल से मार्च) किया जाए। 17 जुलाई 2014 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 5 में यह स्पष्ट किया गया है कि अब इस योजना का उपयोग भारत से बाहर अचल संपत्ति के अर्जन के लिए किया जा सकता है।

2. समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश (Overseas Direct Investment) के अंतर्गत भारतीय पार्टी द्वारा वित्तीय प्रतिबद्धता (Financial commitment –एफसी)

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश से संबंधित मौजूदा उपबंधों के अनुसार दिनांक 14.8.2013 तक किसी भारतीय पार्टी द्वारा विदेश स्थित सद्भावी कारोबारी गतिविधियों में संलग्न उसकी सभी जेवी/डब्लूओएस में, स्वचालित मार्ग के अंतर्गत, कुल समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश अंतिम

लेखा परीक्षित को भारतीय पार्टी की निवल मालियत के 400% से अधिक नहीं होना चाहिए था।

14 अगस्त, 2013 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 23 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि :–

(ए) भारतीय पार्टी की निवल मालियत के 400% की वर्तमान निवेश सीमा को घटाकर स्वचालित मार्ग के अंतर्गत उसकी निवल मालियत के 100% की जाए। तद्नुसार, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक भारतीय पार्टी के अंतिम लेखा परीक्षित तुलनपत्र की तारीख को उसकी निवल मालियत के 100% तक ही स्वचालित मार्ग के अंतर्गत समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश करने की अनुमति दे सकते हैं:

(बी) ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र की समुद्रपारीय अनिगमित कंपनियों में भारतीय कंपनी द्वारा अपनी निवल मालियत के मौजूदा 400% तक निवेश करने की सीमा को घटाकर भारतीय कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित तुलनपत्र की तारीख को ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र की समुद्रपारीय अनिगमित कंपनियों में निवेश की सीमा, स्वचालित मार्ग के अंतर्गत, उसकी निवल मालियत के 100% की जाए:

(सी) निवल मालियत के 100% से अधिक के समुद्रपारीय निवेश के लिए अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विचार किया जा सकता है:

सार्वजनिक क्षेत्र के नवरत्न उपक्रमों, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा समुद्रपारीय अनिगमित कंपनियों और तेल क्षेत्र (अर्थात तेल और प्राकृतिक गैस आदि के लिए खोज और खुदाई) से संबंधित समुद्रपारीय अनिगमित कंपनियों में निवेश से संबंधित उपबंध, जो स्वचालित मार्ग के अंतर्गत बिना किसी सीमा के भारत सरकार द्वारा विधिवत् अनुमोदित होते हैं, अब तक की भांति लागू बने रहेंगे ।

उपर्युक्त उपबंध भावी सभी नए समुद्रपारीय निवेश प्रस्तावों पर लागू होंगे, किंतु मौजूदा विनियमों के अंतर्गत स्थापित वर्तमान जेवी/डब्लूएस सेट–अप पर लागू नहीं होंगे।

4 सितंबर 2013 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 30 द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि किसी भारतीय पार्टी की निवल मालियत की स्वचालित मार्ग के तहत पूर्ववर्ती 400 प्रतिशत की सीमा के अनुपालन में 14 अगस्त 2013 को अथवा उसके पहले की गयी सभी वित्तीय प्रतिबद्धताएं जारी रखने की अनुमति दी गई तथा यह भी स्पष्ट किया गया कि किसी भारतीय पार्टी द्वारा वित्तीय प्रतिबद्धता की सीमा (संप्रति निवल मालियत के 100 प्रतिशत) भारतीय पार्टी के ईईएफसी खाते अथवा भारतीय पार्टी द्वारा एडीआर/जीडीआर से जुटायी गई राशि से निर्धारित (Funded) वित्तीय प्रतिबद्धताओं पर, लागू नहीं होगी।

इसके अलावा, यह निर्णय लिया गया कि समय–समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी वर्तमान बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार किसी भारतीय पार्टी द्वारा लिए गए पात्र बाह्य वाणिज्यिक उधार द्वारा निर्धारित (Funded) वित्तीय प्रतिबद्धताओं के लिए भारतीय पार्टी की निवल मालियत की 400 प्रतिशत की सीमा को बरकरार रखा जाए।

3 जुलाई 2014 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.1 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के वर्तमान उपबंधों के अनुसार भारतीय पार्टी द्वारा स्वचालित मार्ग के तहत 14 अगस्त 2013 से पहले समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई)/वित्तीय प्रतिबद्धता (एफसी) के लिए लागू सीमा को पुनः स्थापित किया जाए। तथापि, एक वित्तीय वर्ष में 1 (एक) बिलियन अमरीकी डॉलर (अथवा उसकी समतुल्य) सीमा से अधिक की वित्तीय

प्रतिबद्धता के मामलों में रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति लेनी आवश्यक होगी, भले ही भारतीय पार्टी की कुल वित्तीय प्रतिबद्धता स्वचालित मार्ग के तहत पात्र सीमा (अर्थात अंतिम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार निवल मालियत के 400% की सीमा में) में हो।

3. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फ्रेमवर्क के अंतर्गत संबंधित पार्टियों को वृहत्तर स्वतंत्रता एवं लचीलापन उपलब्ध करने हेतु कुछ कदम उठाए गए । इस संबंध में जारी किए गए परिपत्रों को संक्षेप में नीचे दिया गया है :

I. 15 जुलाई 2014 – ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 4 : शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों का निर्गम/अंतरण–पुनरीक्षित कीमत निर्धारण संबंधी दिशानिर्देश

सूचीबद्ध/गैर–सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के शेयरों के अंतरण/निर्गम के लिए वर्तमान कीमत निर्धारण संबंधी दिशानिर्देशों और आप्शनैलिटी उपबंध वाले/बिना उपबंध वाले ईक्विटी शेयरों में किए गए निवेश से बाहर जाने की अब समीक्षा की गई है ताकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फ्रेमवर्क के अंतर्गत संबंधित पार्टियों को वृहत्तर स्वतंत्रता एवं लचीलापन उपलब्ध हो सके। नए कीमत निर्धारण संबंधी दिशानिर्देश निम्नवत होंगे:

(i) सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में

(ए) अनिवार्यतः परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों एवं अनिवार्यतः परिवर्तनीय डिबेंचरों सहित शेयरों के निर्गम और अंतरण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के दिशानिर्देशों के अनुसार होंगे:

(बी) आप्शनैलिटी उपबंध वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लिखतों के लिए कीमत निर्धारण संबंधी दिशानिर्देश 9 जनवरी, 2014 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 86 के अनुसार लागू बने रहेंगे अर्थात यथा लागू अवरुद्धता अवधि के बाद, अनिवासी निवेशक, बिना किसी आश्वासित प्रतिफल के, मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंजों में प्रचलित कीमत पर निवेश से बाहर जाने के लिए पात्र होगा:

(ii) गैर सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में

आप्शनैलिटी उपबंध वाले अथवा बिना उपबंध वाले अनिवार्यतः परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों और अनिवार्यतः परिवर्तनीय डिबेंचरों सहित शेयरों के निर्गम और अंतरण उस कीमत पर होंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत कीमत निर्धारण संबंधी प्रणाली के अनुसार, स्वतंत्र रूप से, आकलित की गई हो। इस प्रकार दिशानिर्देशक सिद्धांत यह होगा कि अनिवासी निवेशक को निवेश/करार करते समय निवेश से बाहर जाने के वक्त किसी आश्वासित कीमत की गारंटी नहीं दी जाएगी ।

निवासी से अनिवासी को एवं अनिवासी से निवासी को बिक्री के द्वारा शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों के अंतरण को बहियों में रिकार्ड करने वाली भारतीय कंपनी जिस वित्तीय वर्ष में अंतरण होता है, उस वित्तीय वर्ष के तुलनपत्र में शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों के मूल्यांकन के ब्यौरे, अपनायी गई कीमत निर्धारण प्रणाली के साथ–साथ जिस एजेंसी ने मूल्यांकन प्रमाणपत्र दिया हो/को प्रमाणित किया हो, का प्रकटीकरण करेगी।

II. ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 3 – 14 जुलाई 2014 : भारतीय कंपनी द्वारा विदेशी निवेशकों को अंशतः प्रदत्त शेयर (Partly Paid Shares) और वारंट (Warrents) जारी करना

(i) पात्र लिखत और निवेशक

कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों एवं सेबी के यथा

लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी अंशतः प्रदत्त शेयर एवं वारंट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs)/पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (RFPIs) द्वारा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) के प्रयोजन हेतु पात्र लिखत होंगे बशर्ते प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना तथा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश योजना का अनुपालन हो।

(ii) कीमत निर्धारण एवं शेष प्रतिफल राशि की प्राप्ति

(ए) अंशतः प्रदत्त ईक्विटी शेयर

अंशतः प्रदत्त ईक्विटी शेयरों की कीमत का निर्धारण पहले ही (upfront) किया जाएगा एवं कुल प्रतिफल राशि (शेयर प्रीमियम, यदि कोई हो, सहित) के 25% अंश की प्राप्ति भी पहले की जाएगीः पूर्ण प्रदत्त ईक्विटी शेयरों के लिए शेष प्रतिफल राशि 12 माह की अवधि में प्राप्त की जाएगी।

जहां शेयर निर्गम की राशि पांच सौ करोड़ रुपए से अधिक हो एवं निर्गमकर्ता निगरानी एजेंसी से संबंधित सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षा) विनियमावली के विनियम 17 का अनुपालन करता हो, वहां शेष प्रतिफल राशि 12 माह में प्राप्त करने पर जोर नहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार गैर सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के मामले में जहां शेयर निर्गम की राशि पांच सौ करोड़ रुपए से अधिक हो, वहां शेष प्रतिफल राशि 12 माह के बाद भी प्राप्त की जा सकती है। हालांकि, निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी को सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षा) विनियमावली के तहत सूचीबद्ध कंपनी की भांति निगरानी एजेंसी की नियुक्ति करनी होगी। ऐसी निगरानी एजेंसी (ए. डी. श्रेणी–I बैंक) सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सेबी के उक्त विनियम में यथा विनिर्देशन के अनुसार निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी को रिपोर्ट करेगी।

(बी) वारंट

वारंटों की कीमत का निर्धारण और कीमत/परिवर्तन फार्मूला पहले ही निर्धारित किया जाएगा एवं 25% प्रतिफल राशि की प्राप्ति भी पहले ही की जाएगी।

पूर्ण प्रदत्त ईक्विटी शेयरों के लिए शेष प्रतिफल राशि 18 माह की अवधि में प्राप्त की जाएगीः

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट वर्तमान फेमा विनियमावली और कीमत निर्धारण संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, परिवर्तन के समय कीमत ऐसे वारंटों के निर्गम के समय आकलित उचित मूल्य से कभी कम नहीं होनी चाहिए। अतः निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी पहले से सहमत कीमत से अधिक प्रतिफल राशि प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगी।

अंशतः प्रदत्त शेयरों/वारंटों के मामले में वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार प्रवेश मार्ग, सेक्टोरल कैप से संबंधित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम की सभी शर्तों एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी दिशानिर्देशों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सभी अन्य शर्तों के अनुपालन का दायित्व निवेश प्राप्तकर्ता के साथ–साथ निवासी अंतरक अथवा अंतरिती पर होगा।

नीता बेहरामफ्राम
उप निदेशक

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण मामलों में जांच

1. मुंबई की एक महत्वपूर्ण कंपनी और उसके अध्यक्ष

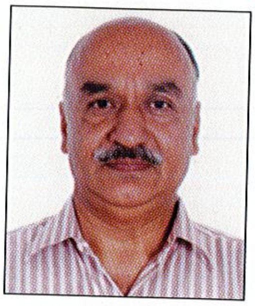

मुंबई की एक महत्वपूर्ण कंपनी और इसके अध्यक्ष तथा इसके अन्य निदेशकों के विरूद्ध मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध स्कंध ने भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 420 और 120 के अंतर्गत धोखाधड़ी एवं अपराधिक साजिश रचने के लिए अपर मुख्य मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट मुंम्बई के न्यायालय में चार्ज शीट सं0 सी सी/109 दिनांक 21.10.2010 दायर की है।

पंजीकृत उपर्युक्त कंपनी के साथ–साथ मुम्बई में उनकी अन्य ग्रुप कंपनियां उक्त कंपनी के परिवार के स्वामित्व में हैं और वे उन्हें नियंत्रित करते हैं, जो उच्च दर पर ब्याज देने के आश्वासन पर लोगों से धन जमा करने के कारोबार में लगी है। वर्ष, 2009 के दौरान, निदेशालय को जानकारी मिली कि उक्त ग्रुप को हीरों के निर्यात के लिए अग्रिम के रूप में विदेश से अत्यधिक धनराशि भेजी गई थी जबकि कंपनी ने कार खरीद कर किराए पर देने के लिए लोगों से धनराशि उगाहने का व्यापार घोषित किया हुआ था और उसकी अन्य ग्रुप कंपनियों ने रीयल एस्टेट विकास का कारोबार तथा लोगों से धन जमा करने का कारोबार घोषित किया हुआ था।

विदेश से धन प्राप्त होने के इस कारोबार में हवाला के संदिग्ध मामले के आधार पर, फेमा, 1999 के अंतर्गत तलाशी की कार्रवाइयाँ की गई थी और नक़द एवं कुछ अभियोग साबित होने वाले दस्तावेज बरामद करके जब्त किए गए। बरामद किए गए दस्तावेजों तथा दर्ज बयानों के आधार पर, इसके अध्यक्ष के खिलाफ एक कोफेपोसा जब्ती आदेश जारी किया गया।

फेमा, 1999 के तहत किए गए अन्वेषण के दौरान, यह जानकारी भी मिली थी कि आम लोगों में से कई निवेशकों ने इस ग्रुप और इसके निदेशकों तथा अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी, साजिश रचने की अनगिनत शिकायतें दर्ज करवाईं थी।

यह अपराध, को धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अधीन, जिन्हें इस निदेशालय द्वारा भी कार्यान्वित किया जा रहा है की विधि योजना के रूप में अनुसूचित अपराधों में आते थे। यह भी पाया गया था कि चूंकि ये अपराध विभिन्न कारोबारी गतिविधियों में किए गए थे और अनगिनत संपत्तियों में अध्यक्ष, उसके निदेशक तथा उसकी ग्रुप कंपनियों द्वारा धनशोधन का भी अपराध किया गया था अतः पी एम एल ए, 2002 के प्रावधानों के अनुसार, अपराध क्रियाविधि का पता लगाने के लिए उक्त अपराध विधि के अन्वेषण हेतु एक ईसीआईआर दर्ज किया गया। इस अन्वेषण के परिणामस्वरूप निदेशालय ने अभी तक 21 अनंतिम जब्ती आदेश जारी किए हैं और लगभग 133 करोड़ भारतीय रूपए तक की संपत्तियां जब्त की गई। पी एम एल ए, नई दिल्ली के तहत माननीय न्यायनिर्णयण प्राधिकारी ने आज की तारीख तक 20 अनंतिम जब्ती आदेशों में शामिल 120 करोड़ भारतीय रूपए की दागी संपत्ति जब्त की, शेष एक अनंतिम आदेश, माननीय न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष आदेश हेतु लंबित है। निदेशालय ने पहले से ही पी एम एल ए 2013

के विशेष केस स0 01,03 तथा 06 के रूप में सत्र न्यायालय, मुम्बई में माननीय विशेष न्यायधीश के समक्ष पी०एम०एल०ए० अभियोजन शिकायतें दर्ज कराई हुई हैं।

इस निदेशालय ने उक्त कंपनी के अध्यक्ष और उसकी विदेशों में स्थापित कंपनियों द्वारा गैर कानूनी तरीके से अर्जित अत्यधिक धनराशि का भी पता लगाया है।

मुम्बई में सक्षम न्यायालय द्वारा अनुरोध पत्र की योजना के अंतर्गत परिकल्पित जांच का अनुरोध, विभिन्न देशों के अनुरूपी न्यायालयों को जारी कर दिया गया है और जल्द ही न्याय मिलने की आशा है। अकेले एक देश में अवैध रूप से अर्जित–अनुमानित धन राशि 49.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। कई जमीन/रियल एस्टेट परियोजनाओं में भी आपराधिक कार्यविधि का पता लगाया जा रहा है और इस संबंध में अन्वेषण चल रहा है।

2. रियल एस्टेट कारोबार की एक बड़ी विदेशी कंपनी

भारतीय अर्थवयवस्था के उदारीकरण की गति को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने रियल एस्टेट कारोबार में विदेशी निवेशकों को अनुमति प्रदान की, जिसके परिणामस्वरूप, भारत में रियल एस्टेट कारोबार में भारी विदेशी निवेश किया गया। रियल एस्टेट कारोबार की एक बड़ी विदेशी कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से वर्ष 2005–2006 की अवधि के दौरान स्वचालित माध्यम के अन्तर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में भारत में भेजी गई धनराशि में से, 8600.73 करोड़ रूपए की धनराशि से 7065.72 एकड़ भूमि/कृषि भूमि खरीदी। इस विदेशी कंपनी तथा इसकी सहायक कंपनियों द्वारा भारत में कई बड़े शहरों में फैले आवासीय घरों, वणिज्यिक परिसरों, होटलों, रिसोर्ट आदि सहित समेकित टाऊनशिप के विकास एवं प्रबंधन के लिए भूमि/कृषि भूमि खरीदी गई थी।

चूंकि विदेशी नागरिकों द्वारा कृषि भूमि अथवा बागवानी भूमि अथवा फार्महऊस की खरीद के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्गत विदेशी निवेश की अनुमति नहीं दी गई है अतः इस विदेशी कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों ने स्वचालित माध्यम के अंतर्गत 8600.73 करोड़ रूपए की धनराशि की 7065.72 एकड़ की उक्त कृषि भूमि की खरीद द्वारा फेमा, 1999 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इस विदेशी कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों को फेमा, 1999 के प्रावधानों के उल्लंधन के लिए 8300.73 करोड़ रू. की धनराशि के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उक्त कारण बताओ नोटिस, निर्णय लिए जाने हेतु लंबित है।

3. इंडियन प्रीमियर लीग (आई पी एल) अन्वेषण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी

प्रवर्तन निदेशालय, मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय ने इलैक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया सहित कई लोगों द्वारा उठाए गए आई पी एल के आयोजन में अनियमितताओं के गंभीर आरोपों के बाद, इंडियन प्रीमियर लीग के संबंध में, अन्वेषण आरंभ किया। आरंभिक जाँच, आई पी एल के फ्रेंचाइजीस को सौंपने,

मीडिया और वाणिज्यिक अधिकारों की बिक्री और आईपीएल टूर्नामेंट को भारत के बाहर आयोजित करने में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के प्रावधानों के उल्लंघन दर्शाने वाले मामलों के बारें में की जा रही है ।

निदेशालय ने फ्रेंचाइजीस के स्वामित्व, विदेशी निवेश की प्रकृति, शेयरों के मूल्य तथा फ्रेंचाइजीस द्वारा शेयरों के अंतरण, विशेष रूप से गैर निवासी और विदेश से प्राप्त धनराशि के स्त्रोतों से संबंधित संदिग्ध फेमा के उल्लंघनों के संबंध में विस्तृत अन्वेषण किया है। निदेशालय ने विदेशी खिलाड़ियों की बोली और डिजिटल एवं बेबसाइट अधिकारों में विदेशी मुद्रा के घटक के लिए आईपीएल द्वारा मिडिया अधिकारों, विदेशी मुद्रा के भुगतान की गारंटीज के लिए करारों की भी जाँच की है, जिन्हें दक्षिण अफ्रिका में आयोजित किए गए आई पी एल–II के दौरान किया गया था।

आई पी एल एक महत्वपूर्ण सदस्य के दिमाग की उपज थी। जिन्होने जानबूझकर अन्वेषण में सहयोग नहीं किया इसलिए निदेशालय ने अपने सभी संभव स्त्रोतों से सूचना एकत्र करने के सारे प्रयास किए और संबंधित काफी लोगों के बयान दर्ज किए। आईपीएल फ्रेंचाइजीस के विभिन्न अधिकारधारकों से मिले दस्तावेज़ से पता चलता है कि फेमा के विभिन्न प्रावधानों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती गई हैं। विभिन्न फ्रेंचाइजीस के अधिकारियों, आईपीएल शासन परिषद के सदस्यों, मीडिया अधिकार प्राप्त कंपनियों तथा संबंधित इकाइयों के बयान दर्ज किए गए थे।

उक्त स्त्रोतों से एकत्रित किए गए साक्ष्य, कुछ विशिष्ट मुद्दों के संबंध में फेमा की धारा 16 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के प्रयोजन से उपयुक्त पाए गए थे, आज तक किए गए अन्वेषणों के परिणामस्वरूप, 1660 करोड़ रुपए की धनराशि के संबंध में फेमा के प्रावधानों के कुल उल्लंघनों में शामिल, आईपीएल के महत्वपूर्ण सदस्य और अन्य के विरूद्ध, 24 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। उक्त 24 नोटिसों में से, 04 कारण बताओ नोटिसों में न्यायनिर्णयन किया गया है और इसमें शामिल दोषी टीम के मालिकों और उसके निवेशकों पर कुल 98.35 करोड़ रूपए की शास्ती लगाई गई है।

इस मामले में अन्य कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं मामला न्यायनिर्णयन प्रधिकारी के अधीन है।

(ए. के. कौशल)
सहायक निदेशक

परस्पर विधिक सहायता संधियाँ (एम.एल.ए.टी.)

पारस्परिक कानूनी सहायता संधि दो देशों के बीच आपराधिक कानूनों को लागू करने हेतु अपेक्षित जानकारी के आदान–प्रदान के लिए एक समझौता है।

ये सन्धियां वित्तीय अपराध को रोकने हेतु जारी वैश्विक हमले का एक महत्वपूर्ण हथियार हैं। अन्य देशों में अपने समकक्षों से सहायता लेने एवं उनको सहायता प्रदान करने के लिए, इन शक्तिशाली द्विपक्षीय हथियार का उपयोग किया जाता है। इनके माध्यम से ऐसे सबूत और खुफिया जानकारी जुटाई जा सकती है जो किसी विदेशी क्षेत्राधिकार के सहयोग के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती।

किसी देश में हो रही एक जांच के दौरान यदि किसी सबूत, गवाह के बयान, संबंधित दस्तावेज, खोज और जब्तियाँ अन्य किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता एक विदेशी राष्ट्र से वांछित है, तो अपने संबंधित पुलिस एजेंसियों के माध्यम से अनौपचारिक सहयोग प्राप्त किया जा सकता है या फिर वैकल्पिक रूप से ''पारस्परिक कानूनी सहायता संधि'' के माध्यम से यह सहायता मांगी जा सकती है।

इन संधियों के अंतर्गत जानकारी मांगने हेतु "अनुरोध पत्र" विदेशी राष्ट्रों के "केन्द्रीय प्राधिकरण" को भेजे जाते हैं जो इन्हे सम्बंधित न्यायिक या कानून प्रवर्तन एजेंसी को इसके निष्पादन हेतु भेज देती है।

एम.एल.ए.टी.के विशिष्ट लाभ हैं:

- संधि पार्टनर्स पहले से ही जांच में एक दूसरे की सहायता करने के लिए सहमत होते है
- प्रदान की जा सकने वाली सहायता का दायरा स्पष्ट रूप से संधि द्वारा परिभाषित होता है
- अनुरोध किया गया देश असाधारण खर्च को छोड़कर अनुरोध में लगी लागत को वहन करता है।
- यह ऐसी जानकारी को उपलब्ध करा सकता है जिसे अन्यथा हासिल करना कठिन होता है।

पी.एम.एल.ए. कानून के अनुच्छेद 56 के अंतर्गत भारत की केंद्र सरकार किसी भी अन्य देश के साथ समझौता कर सकती है। भारत ने अभी तक कुल 35 देशों के साथ ऐसी सन्धियां की हैं। इस सम्बन्ध में गृह मंत्रालय भारत सरकार की नोडल संस्था (केन्द्रीय प्राधिकरण) है।

पारस्परिक कानूनी सहायता संधि के माध्यम से आपराधिक गतिविधि के उपकरणों को वापिस स्वदेश लाया जा सकता है। भारत सरकार का प्रवर्तन निदेशालय भी ऐसे कई मामलों में विदेशों में निवेश की गयी आपराधिक आय को पकड़ने में सफल रहा है जिनमे ऑस्ट्रेलिया एवं स्विट्ज़रलैंड प्रमुख हैं। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों को अपनी मदद प्रदान कर चुका है।

राजेश कुमार शर्मा
प्रवर्तन अधिकारी

राजस्व की अवधारणा

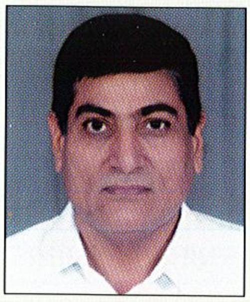

सभ्यता के उद्‌भव काल में मानव सुरक्षा की दृष्टि से बस्तियों में रहने लगा था। प्रारम्भ में इन बस्तियों का आकार छोटा होता था तथा ये जंगलों के मध्य स्थित होती थी। मानव को भोजन की तलाश में बस्ती से बाहर जाना पडता था उस समय बस्ती में पीछे बच्चे बूढे स्त्रियॉ आदि असहाय लोग रह जाते थे। ऐसे में जंगली जानवरों एवं मनुष्य के अन्य दुश्मनों के हमलों का भय बना रहता था। इन परिस्थितियों में सुरक्षा व बचाव हेतु मानव ने एक व्यवस्था बनाई कि उनमें से जो व्यक्ति शक्तिशाली हो वह बस्ती में रहकर सुरक्षा का कार्य संभाले, इसके बदले में अन्य लोग जो भी भोजन लाए उसमें से थोड़ा हिस्सा उस व्यक्ति को देवें, जिससे उस व्यक्ति एवं उसके परिवार के भोजन की आवश्यकता पूरी हो जावे। धीरे धीरे यह व्यवस्था एक निशिचित रूप लेने लगी, कालान्तर में यही शक्तिशाली व्यक्ति "राजा" कहलाया तथा जो अन्य लोगो द्वारा अर्जित भोजन का एक हिस्सा उसे दिया जाता था उसे 'राजस्व' कहा गया। इस अवधारणा के अनुसार 'राजस्व' वह मूल्य था जिसे राजा को बस्ती के जन–धन की सुरक्षा प्रदान करने के लिये लोगों द्वारा चुकाया जाता था। इस व्यवस्था में राजा का कर्तव्य था सुरक्षा प्रदान करना व राजा का अधिकार था राजस्व प्राप्त करना।

चूंकि राजा बस्ती का शक्तिशाली व्यक्ति होता था तथा सुरक्षा एवं बाहरी हमलावरों के सघंर्ष में नेतृत्व करता था। साधारणतया: अन्य लोग उसके निर्देशों का अनुगमन एवं उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे। धीरे धीरे ये निर्देश एवं आज्ञायें स्थापित होने लगी जिनका पालन लोग स्वत: करते थे और यदि कोई इनका उल्लघंन करता तो राजा उसकी पालना करवाता था। बस्ती के लोगो के मध्य संघर्ष व झगड़े न हो तभी संगठन रह सकता है चूंकि राजा का कहना सभी मानते थे अत: राजा बस्ती के लोगों के आपसी झगड़ों का निपटान भी करता था इस हेतु भी राजा लोगों को निर्देश व आज्ञायें देता था। ये निर्देश एवं आज्ञायें जो शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये होती थी, कालान्तर में "कानून" कहलाए इस प्रकार राजा का एक अन्य कर्तव्य कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखना हुआ ।

सभ्यता के विकास के साथ साथ जैसे – जैसे बस्तियों का आकार बढ़ने लगा, तो लोगों के जीवन को सुविधा जनक बनाने हेतु कुछ सार्वजनिक व्यवस्थाओं की आवश्यकता हुई, जैसे आवागमन के लिए गलियां, गलियारे एवं भवन का व्यवस्थित निर्माण, जन सुवधिाओं का विकास इत्यादि। चूंकि यह सार्वजनिक कार्य व्यक्तिगत स्तर पर किया जाना असम्भव था। अत: बस्तियों की व्यवस्था एवं सार्वजनिक कार्यो का कर्तव्य भी राजा को दिया गया।

इस प्रकार राजा के कर्तव्य में अब सुरक्षा, कानून व्यवस्था एवं शांन्ति बनाये रखना तथा सार्वजनिक कार्य अर्थात लोक कल्याण हो गये तथा राजा का अधिकार हुआ राजस्व निश्चित करना, उसका सग्रंहण करना। यही मूल तत्व सभ्यता के अदिकात से वर्तमान तक विद्यमान रहे है। इन कर्तव्यों हेतु अधिक लोगों को लगना पडता था अत: राजस्व की वृद्वि की आवश्यकता हुई परन्तु लोंगों के राजस्व देने की क्षमता के साथ संतुलन बनाये रखना भी आवश्यक था। इसी के अनुरूप राजस्व का निर्धारण किया जाता था। धीरे धीरे राजा के आधिकार 'राजस्व' का स्वरूप भी स्थापित होने लगा तथा राजस्व की वसूली एवं इसकी व्यवस्था करने हेतु नियम अपना रूप लेने लगे।

सभ्यता के विकास के दौरान जब–जब राजा अपने कर्तव्य के निर्वहन में असफल रहा अथवा अपने स्वार्थवश लोगों की क्षमता से अधिक राजस्व लगाया, तब–तब राजा ने लोगों का विश्वास खोया, लोग उसे दुराचारी एवं अयोग्य राजा के रूप में निरूपित करते एवं जन असंतोष बढता। इस प्रकार अच्छे राजा अर्थात राज्य की कसौटी यही रही कि वह अपने कर्तव्य का पालन किस सीमा तक करता है तथा उसी के अनुरूप राजस्व लगाता व संग्रहण करता है।

कर्तव्य से ही अधिकार की उत्पति होती है, यदि कर्तव्यों की पालना नहीं करें तो वह अपना अधिकार भी खो देता है। एक आदर्श राज्य के लिये यह आवश्यक है कि पहले वह अपने मूल कर्तव्यों को निभाये तभी राजस्व लगाने एवं उसका संग्रहण करने का वह सच्चे रूप में अधिकारी होगा। केवल अपने अधिकारों का ढिंढोरा पीटे तथा कठोरता बरते और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाह एवं असफल रहे, उसे आदर्श राज्य नहीं कहा जा सकता। राजस्व निर्बाध रूप से एक राज्य का अधिकार है, परन्तु इसे जनता की क्षमता के अनुरूप निर्धारित एवं संग्रहण किया जाना आदर्श राज्य का कर्तव्य है ।

ओम प्रकाश सहारण
सहायक निदेशक
प्रवर्तन निदेशालय,
जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर

अमन चैन से रहना है तो सहनशील बन जाए सारे

अमन चैन की बात तो करते, लेकिन खुद अंहकार के मारे
बातों से यदि बात जो बनती, पहले बहुत लगे हैं नारे
करने की जब बात है आती, कर जाते हैं सहज किनारे
मंजिल पर तो पहुंचना चाहे, लेकिन बैठे पाँव पसारे
सतगुरु का आदेश है सबको, छोटे बड़े हो गोरे काले
अमन चैन से रहना है, तो सहनशील बन जाए सारे

पाँच तत्व से बने सभी हैं, शक्ल सूरत से न्यारे–न्यारे
लहू सभी की रगों में बहता, बेशक रिश्ते न्यारे–न्यारे
भाषा संस्कृति देश भिन्न है, मानव हैं फिर भी हम सारे
सारे एक धरा के वासी, बसे पूरब पश्चिम मध्य किनारे
हैं एक दूसरे के परिपूरक, बेशक हित सबके हैं न्यारे
अमन चैन से रहना है, तो सहनशील बन जाए सारे

सहनशील होते पैगम्बर, सहनशीलता उर में धारे
भृगु लात मारी विष्णु को, माफ किया और चरण चुचकारे
सुनी सौ गाली शिशुपाल की, सौ से ऊपर परलोक सिधारे
भाई कन्हैया का भाव अपनाकर, बेटे ने माफ किए हत्यारे
हमसे भी है यही अपेक्षा, एक पिता बालक हम सारे
अमन चैन से रहना है, तो सहनशील बन जाए सारे

एक या दो के लिए नहीं, बात यह सारे–सारे की
बातों की यह बात नहीं, यह बात है खास इशारे की
एक दूजे का सत्कार करे, यह बात है भाई–चारे की
दूजेपन का भाव न हो, यह बात है हरमन प्यारे की
एक नूर है सबके अन्दर, 'मीना' पहले आपाभाव को मारे
अमन चैन से रहना है, तो सहनशील बन जाए सारे

जगदीश प्रसाद मीना
सहायक निदेशक (राजभाषा)

माँ

एक बूढा, नंगा, थका जिस्म
एक डूबता अस्तित्व,
जो मेरे जन्म के साथ से ही,
मेरी मां बना हुआ था।

ऊंघती सी याददास्त की मालिक
शब्दों का वज़न ढो पाने में
असमर्थ पीले होठ,
स्वास्थ्य शुभ कामनाओं के ढ़ेर पर
लेटी मां अपने आपको स्वस्थ पाती थीं।

बचपन की स्मृतियां अब,
रह–रह कर लौट आती थीं,
और उनका पीला जर्दी चेहरा रक्तमय होकर,
फिर पीला हो जाता।

खुशियों ने शायद ही कभी,
मां के मनद्वार पर, दस्तक दी हो,
प्राणों के नाम पर,
पीड़ा–दर्द का एक सैलाब,
उनकी शिराओं में रेंगता था।
मां तिल–तिल कर मौत मय होती रहीं,
और उनकी जीवन प्यास बस,
बूंद–बूंद पानी चूसती रही,
'दर्द तुम्हे प्रणाम' मां का हर पहलू
बुद–बुदा रहा था।
हांफता हुआ अस्तित्व,
एकदम खामोश हो गया,
एक ठण्डा जिस्म,
जिसे हम 'मां' कहते थे,
आसान किस्तों की मौत
चुक गया।

देवेन्द्र कुमार खरे
उप निदेशक

जनसंख्या

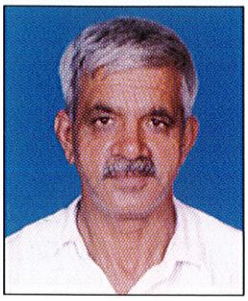

जहां–जहां है नजर जाती
वहां–वहां जनसंख्या पाती
जनसंख्या की वृद्धि ने
किया देश का बंटाधार

मंहगाई बढ़ी, गरीबी बढ़ी
पूछो न जनसंख्या की वृद्धि ने
किया देश का क्या–क्या हाल
जनसंख्या की वृद्धि ने किया
देश का बंटाधार,

गांव–शहरों में फिरते मारे–मारे नौजवान
बेरोजगारी ने किया उनका बुरा हाल
जनसंख्या की वृद्धि से होने लगा
गरीबी का विकास
पूछो न जनसंख्या की वृद्धि ने
किया देश का बंटाधार,

रहने को जगह नहीं, खाने को भोजन नहीं
पहनने को वस्त्र नहीं
इनकी कमी का एक हो नाम
यह है जनसंख्या के दुष्परिणाम
अब हम सब का यही नारा है
देश को खुशहाल बनाना है।

कन्हैया लाल
सहायक

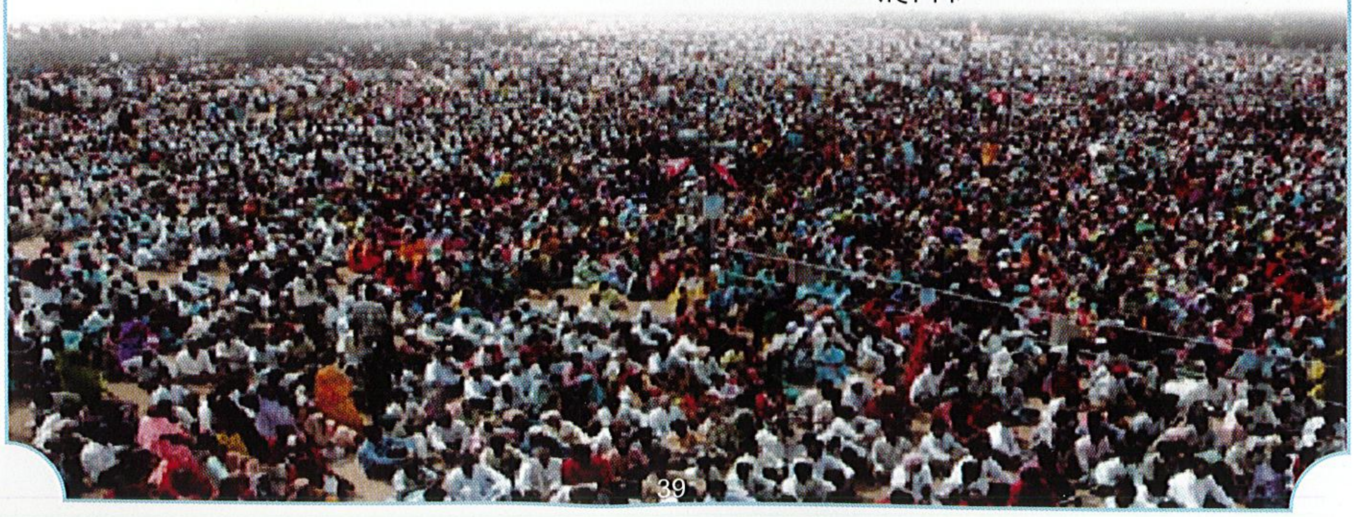

'मेरी सोच है बेकार'

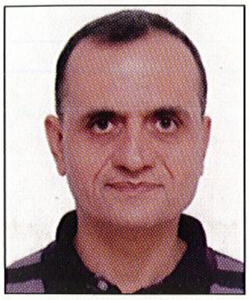

प्रायः जीवन में हो जाता हूं मैं गमगीन,
मुझे अपना जीवन फीका लगता है, अन्य का रंगीन।
फिर मेरे मन में विचार आता है कि–
सुदूर सीमा पर एक सिपाही जब सोता होगा,
अपने प्रियजनो को स्मरण कर रोता होगा।
कहीं एक मां की फूल रही है सांस,
क्योकि उसके नवजात शिशु ने अभी तक खोली नहीं है आंख।
उधर एक निर्धन पिता चुपचाप आहें है भर रहा,
क्योंकि उस का बेटा भीख मांग कर निर्वाह है कर रहा।
उधर अनाथालय में एक बच्ची है उदास,
क्योंकि न उसके मां–बाप न प्रियजन है उसके पास।
फिर जब अपनी तुलना अन्य से करता हूं तो पाता हूं कि
मेरे पास तो प्रसन्न रहने के हैं सारे आधार,
रहने को छत, खाने को हैं अन्न के भंडार।
घर में टीवी फ्रिज व यातायात के लिए है कार,
शरीर के सभी अंग स्वस्थ व परिवार का है असीम प्यार
हाथ में है स्मार्ट फोन,
वट्स अप और फेस बुक पर जुड़े हैं मित्र हजार,
खान मार्किट है मेरा कार्यालय
मेरा तो हर एक दिन हैं त्यौहार,
मेरा जीवन तो है सतरंगी,
केवल मेरी सोच है बेकार।

नीरज कुमार कत्याल
सहायक निदेशक

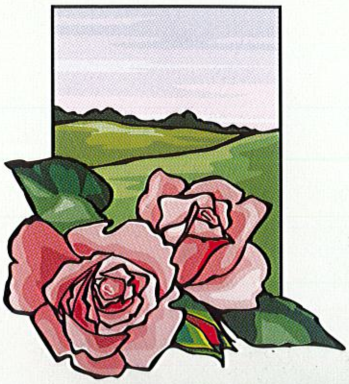

शहीद की आत्मा

शहीद जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। उनका इस मृत्यु लोक में पुनर्जन्म नहीं होता, किन्तु एक ज्योतिस्वरूप पुंज स्वर्ग से धरती पर देश के हालात जानने को उतरा कि जिस देश को आज़ाद कराने के लिये उसने प्राण दिये थे, उसके लोग सभी सुख से तो हैं। हालांकि ईश्वर जानते थे देश का हाल इसलिए उन्होंने बहुत मना किया था, पर देश के लिये मरने वाले स्वर्ग का सुख देश सेवा से निकृष्ट समझते हैं, सो वो नहीं माने।

सबसे पहले वो अपनी समाधि में प्रकट हुए तो दंग रह गये समाधि ढूंढने से भी न मिलती थी। जब वो जीवित थे, तो सुना था कि हर साल शहीदों की समाधियों पर मेले लगेंगे, पर यहाँ तो अतिक्रमण हो चुका था। शमशान भूमि पर अतिक्रमण ?

सरकारी दफ्तर, गाँव का स्कूल, अस्पताल, संसद सभी कुछ देखने की उनकी उत्कट इच्छा थी।

गाँव के सरकारी स्कूल गए तो देखा वहाँ पर ताला पड़ा था, क्योंकि मंत्रीजी की अनुकंपा से सभी शिक्षक शहर में स्थानांतरित कर दिये गये थे, क्योंकि सभी मंत्रीजी की जाति के थे और चुनाव में मंत्रीजी उनसे उपकृत हुए थे मंत्रीजी की जाति के सभी वोट उन्हें ही पड़े थे स्कूल के बच्चों ने भी फर्जी वोटों से मंत्रीजी को जितवाया था और उसमें शिक्षकगण की अहम भूमिका रही थी। अब बच्चे तो देश का भविष्य हैं, लेकिन वर्तमान अधिक महत्वपूर्ण है, भविष्य किसने देखा? बच्चे फिर पढ़ लेंगे।

शहीदात्मा अस्पताल चली। देखा तो गाँव में बारिश के बाद मलेरिया फैला था। डॉक्टर साहब तो शहर से केवल तन्ख्वाह वाले दिन ही आते थे, कोई ऊँचे रसूख वाले थे, जिनकी तन्ख्वाह यहाँ से उठती थी और काम कहीं शहर के अस्पताल में ही करते थे, कोई डैपुटेशन का चक्कर था, बहरहाल गाँव में नहीं रहना था, बाक़ी दिन कंपाउंडर साहब, जो उसी गाँव के थे, वायरल से लेकर कैंसर तक का इलाज बख़ूबी करते थे। गाँव की मृत्युदर सर्वोच्च थी। जनसंख्या वृद्धि को रोकने का पुनीत कार्य वो इस माध्यम से भी कर रहे थे। उन्हें गाँव वाले डॉक्टर ही मानते थे या कहें कि उन्हें डॉक्टर मानने को अभिशप्त थे। अच्छी कंपनियों की दवाइयाँ मरीज़ों को गर्मी करतीं है, पर डॉक्टर साहब की जेब गर्म नहीं करतीं उधर लोकल कंपनियों की दवाइयाँ, जो मँहगी होने के कारण भले ही मरीज़ों की जेब पर प्रतिकूल असर डालती हों पर डॉक्टर साहब को अच्छा कमीशन ऑफ़र करती हैं इसलिए उन्हीं से मरीज़ों का इलाज हो रहा था ।

अचानक शहीद को देख सब भूत–भूत चिल्लाए। फौरन गाँव का ओझा बुलवाया गया जो स्वयं आजकल बीमारियों की झाड़–फूँक से काफी अर्थ–अर्जन में व्यस्त था। ओझा ने कई मंत्र तंत्र पढ़े, पर शहीद की आत्मा थी निष्पाप इसलिये फुर्र से उड़ गई।

सोचा चलो प्रशासन भी देख लें। सबसे पहले थाने गए जहाँ के दारोग़ा जी उनका बहुत आदर किया करते थे। उन्होंने देखा कि स्वतंत्रता सैनानी होने के नाते थानेदार साहब की कुर्सी के उपर उनकी तस्वीर टंगी थी, हालांकि धूल–धूसरित थी पर अब 15 अगस्त नज़दीक ही था इसलिए उन्होंने सोचा कि अब शायद शीघ्र ही इससे निजात मिलेगी।

दारोग़ा साहब दहेज कानून का पन्ना खोले बैठे थे और एक लड़की के पिता को समझा रहे थे कि एक बार शादी हो गई तो समझो कि अब उनकी लड़की जैसे चाहे वैसे ससुराल वालों को नचा सकती है अब कानून ऐसा बन गया है कि सास ने थोड़ी भी उँची आवाज़ में बात की कि बहू उसे जेल के सलाख़ों के पीछे भिजवा देगी। सास तो क्या धारा 498 में समधी के बच्चे–बच्चे को जेल भिजवा सकती है और ज़मानत न होने देने की गारंटी स्वरुप दी जाने वाली रिश्वत पर चर्चा हो रही थी। शहीद आत्मा चौंकी जिस जेल में उन्होंने अपनी जवानी के कई वर्ष गुज़ारे थे उसमें ऐसा अनाचार! जेल में कैदियों के पास मोबाइल थे जिनमें वो अपने–अपने आक़ाओं के लिये

तरह–तरह की रिंगटोंस डाउन लोड कर रहे थे ।

शहीद से नज़ारा देखा न गया सोचा कि चलो कचहरी हो आएं, जहाँ उनका भी मुक़दमा चला था। कचहरी के हालात भी काफी बदले–बदले से थे। विपक्षी पार्टी के वक़ील साहब सरकारी वक़ील को चुप रहने की फ़ीस देने की बात कर रहे थे, जो उन्हें अविश्वसनीय लगा। कचहरी में भ्रष्टाचार के मुकदमें पर बहस चल रही थी। अभियुक्त पहले से ही विभाग की पत्रावली की कमज़ोरियाँ जानता था, क्योंकि उसने अपने रिसोर्सेज़ और प्रचलित तरीक़ों का इस्तेमाल करके गोपनीय पत्रावली पहले ही देख ली थी और गवाह भी होस्टाइल हो गये थे। चर्चा ये भी हो रही थी कि सीआर. पी.सी. में संशोधन होने वाला है और गवाह होस्टाइल नहीं हो सकेंगे तो कैसे बचाव होगा, रणनीति बनाना तो ज़रूरी था, शहीद सहम गया सोचा चलो आम आदमी के विचार जाने ।

चाय की दूकान पर गये वहाँ टी.वी. चल रहा था, जो शहीद के लिये नई चीज़ थी–देखा संसद की कार्यवाही आ रही थी। ओफ्फो ऐसा नज़ारा! संसद सदस्य एक दूसरे पर अधिक भ्रष्ट होने और बाहुबली होने के आरोप लगा रहे थे। कबूतरबाज़ और दाग़ी शब्द बार–बार गुंजायमान हो रहे थे। ये नये शब्द थे, जो शहीद ने अपने जीवित होने तक कभी नहीं सुने थे। कुछ देर के बाद वाक् आउट हो गया और महत्वपूर्ण विषय पर विधेयक बिना चर्चा के पास हो कर क़ानून बन गया ।

एक सरकारी दफ़्तर का मुआयना भी वो करना चाहते थे। चुपके से जाकर एक रोशनदान में से झाँका, किसी बड़े अफ़सर का दौरा होने को था और सभी इस जुगाड़ में थे कि उसे उनकी प्रोटोकॉल ड्यूटी मिल जाये और इसे वो अपनी फ्यूचर पोस्टिंग का आसान रास्ता बनाने का सुअवसर जान रहे थे। फिर प्रोटोकॉल में फंड भी बहुत होता था जिसके कोई हिसाब कोई आंतरिक अथवा लेखाकार कार्यालय के अंकेक्षण का चक्कर नहीं था और मुफ़्त में खाने–पीने को भी बहुत मिलता था। किसी तरह अफसर को खुश करने का जतन किया जा रहा था, उनकी पसंद की मदिरा, खाने पीने की रुचियों का डेटा–बेस तैयार किया जा रहा था, तभी एक अपेक्षाकृत कनिष्ठ पर्यावरण प्रेमी अधिकारी ने आगंतुक अधिकारी से वृक्षारोपण करवाने का विचार दिया, विचार चल निकला और बहुत ही सराहा गया। बड़े साहब तो बहुत ही ख़ुश हुए, किंतु इस आइडिया से एक वरिष्ठ अधिकारी को बड़ा गुस्सा आया कि ये आइडिया उनके दिमाग़ में क्यों नहीं आया, क्योंकि वो प्रोटोकॉल करना अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते थे और उन्हें इस मामले में किसी को बढ़ता देखना कदापि स्वीकार्य नहीं था लिहाज़ा बड़े खिसियाये और लगे वृक्षारोपण कार्यक्रम का पुरज़ोर विरोध करने। बड़े साहब ने झल्ला कर उनसे प्रोटोकॉल ले कर कनिष्ठ अधिकारी को दे दिया और उन्हें कहीं दूरस्थ इलाक़े में ड्यूटी पर भेज दिया।

शहीद को ये नज़ारा देख हँसी आ गई। वो सोचा करते थे कि सरकारी दफ़्तर जनता की सेवा के मंदिर होंगे, वहाँ इस तरह का माहौल और ओछापन! यहाँ सरकारी काम की तो कोई चर्चा ही नहीं थी, शहीद वहाँ से चल दिये।

शहर देखने निकले, शहर बहुत बदल गया था, बड़ी–बड़ी अट्टालिकाएँ बन गई थीं, बड़े–बड़े शॉपिंग मॉल्स बन गये थे, बहुत से ओवर ब्रिज बन गये थे, उन्हें बड़ी मसर्रत (खुशी) हासिल हुई कि देश ने कितनी प्रगति कर ली है बहुत अच्छी आर्थिक उन्नति हुई है, किंतु तभी अचानक उनकी दृष्टि ब्रिज के दूसरी ओर बनी झुग्गियों की क़तार पर गई। इतनी विषमता!

शहीद पहले देखे हुए हालात से दुखी तो थे ही, इतनी विषमता देख उनकी आँखों में आँसू आ गये। इसे देख श्री नारायण नंगे पैर दौड़ पड़े और इससे पहले कि शहीद का आँसू धरती पर गिर प्रलय का कारण बनता, उन्हें बैकुण्ठ लोक ले गये ।

विवेक श्रीवास्तव,

सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर

रत्नों से रोग शान्ति

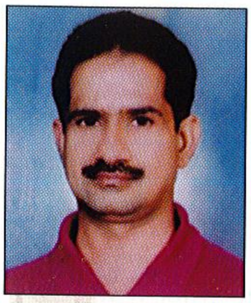

मानव जीवन पर ग्रहों का प्रभाव सर्वविदित है मानव सदैव ग्रहों से प्रभावित रहता है। रोग पीडित व्यक्ति के लिये भारतीय महर्षियों ने रोग शमन हेतु आयुर्वेद के आठ अंगों का वर्णन किया है आयुर्वेद के आठ अंगों में काया चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, शालाक्य तंत्र, विष विज्ञान, बाल चिकित्सा, रसायन तंत्र, बाजीकरण, ग्रह चिकित्सा एवं भूत विद्या है।

प्रत्येक ग्रह अपनी राशि से सप्तम भाव में नीच का होता है। नीच राशि में स्थित ग्रह जातक में विभिन्न रोग उत्पन्न करता है। उस ग्रह की शान्ति से एवं ग्रह रत्न धारण करने एवं उसी रत्न की भस्म सेवन से भी जातक रोग मुक्त हो जाता है।

चिकित्सक को कुण्डली में ग्रहों की स्थिति एवं एक ग्रह का दूसरे ग्रह से सम्बन्ध दशा, अन्तर दशा, प्रत्यंतर दशा सभी का ज्ञान होना जरूरी है तभी चिकित्सक जातक की उचित चिकित्सा कर पायेगा ।

नौ ग्रह है जो मानव को अपनी गति से प्रभावित करते रहते है इनका विवरण निम्न प्रकार है –

चन्द्र ग्रह– चन्द्रमा जब व्यक्ति की कुण्डली में अशुभ स्थान पर रहता है तो वह निम्न व्याधियां पैदा करता है गलगण्ड, गण्डमाल, ज्वर विशेषत कफ दूषित जन्य ज्वर, कास वमन, क्षय कफजशूल, श्लीपद, जलोदर, आम पीडा, आमातिसार, हृदय रोग आदि।

चन्द्रमा का रत्न मोती है चन्द्रमा जनित व्याधियों में मोती धारण करने से मोती भस्म, मुक्तापिष्टी, मोती का दान शुभ फल प्रदान करते है।

सूर्य ग्रह– जब जातक की कुण्डली मे सूर्य अशुभ स्थिति में रहता है तो सूर्य जनित व्याधियाँ पैदा होती है जैसे दाहक ज्वर, हिचकी आदि।

सूर्य का रत्न माणिक्य है माणिक्य धारण करने से माणिक्य का दान करने से माणिक्य भस्म सेवन करने से सूर्य नमस्कार, सूर्याघ्र्या और रविवार का उपवास करने से भी लाभ मिलता है।

मंगल ग्रह– मंगल जब जातक की कुण्डली मे अशुभ स्थान मे होता है तो मंगल जनित व्याधियाँ उत्पन्न होती है जैसे रक्तपित, दाद, भगन्दर, रक्तदोष, प्रमेह, फोडे फुन्सियों का सारे शरीर में हो जाना, अस्थिभग्न, बवासीर, रक्तातिसार आदि व्याधियाँ हो जाती हैं।

मंगल ग्रह का रत्न मूंगा है अतः मंगल की शान्ति के लिये व्यक्ति को मूंगा धारण करना चाहिये, मूंगे का दान, प्रवाल पिष्टी का सेवन करना चाहिये, प्रवाल मधुमेह में लाभदायक है ।

गुरू ग्रह– गुरू ग्रह की अशुभता से मस्तिष्क एवं कर्ण, जीभ, नाक, नेत्र अदि प्रभावित होते है। अशुभ गुरू ग्रह मेद को बढाता है ।

गुरू ग्रह का रत्न पुखराज है पुखराज धारण करने से पुखराज की भस्म का सेवन, पुखराज का दान, पुखराज विषनाशक, कुष्ठ नाशक रक्तपित नाशक है।

बुध ग्रह जब जातक की कुण्डली में बुध ग्रह अशुभ भाव में हो तो जातक को त्वचा सम्बन्धी रोग, वायु रोग, एक्जीमा, उन्माद, वमन और सन्निपात आदि रोग हो जाते है।

बुध ग्रह का रत्न पन्ना है। बुध की शान्ति हेतु पन्ना धारण करना चाहिये, दान करना चाहिये व पन्ने की भस्म का सेवन करना चाहिये ।

शुक्र ग्रह– पापग्रह के रूप में जातक की कुण्डली मे अशुभ स्थान पर बैठ जाता है तो जातक को गुदा और शिश्न सम्बन्धी रोग होते है तथा प्रमेंह, शोध, मूत्र रोग, गुल्म उपंदश, अण्डकोश वृद्धि स्त्रियों में प्रदर व गर्भाशय सम्बन्धी शूल तथा ज्वारादि रोग हो जाते है ।

शुक्र ग्रह का रत्न हीरा है हीरा धारण करना, हीरे का दाना, करना हीर के भस्म का सेवन करना चाहिये हीरा भस्म यौवन रक्षक, मेधा वर्धक, नेत्र को हितकारी होती है ।

शनि ग्रह– जब किसी व्यक्ति की कुण्डली में अशुभ स्थान पर होता है तो निम्न व्याधियाँ व्यक्ति को परेशान करती है जैसे राजक्ष्मा, वतोदर, मूर्च्छारोग, प्लीहोदर, स्नायुपीडा, कृमिरोग, पक्षाघात, जीर्णज्वर, सभी अंगों में वायु जन्य पीडा, हाथ पैरो का कांपना आदि ।

शनि ग्रह का रत्न नीलम है नीलम धारण करने से नीलम के दान से भस्म के सेवन से जातक को लाभ प्राप्त होता है लेकिन नीलम धारण से पूर्व नीलम की अनुकूलता प्रतिकूलता का परीक्षण आवश्यक है अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि हो सकती है।

राहु ग्रह– जब जातक की कुण्डली मे अशुभ भाव में होता है तो जातक मानसिक रोगी, व्यर्थ की चिन्ता, वायु रोगों से पीडित रहता है ।

राहु ग्रह का रत्न गोमेद है गोमेद के दान, गोमेद भस्म का सेवन करने से लाभ प्राप्त होता है। गोमेद बुद्विवर्धक है ।

केतु ग्रह– जब जातक की कुण्डली में अशुभ भाव में होता है तो जातक पित प्रकोप जैसे शरीर दाह, ज्वर, अग्निमन्धता, निद्राल्पता, चक्कर आना जैसी व्याधियों से पीड़ित रहता है।

केतु ग्रह का रत्न **वैदूर्य लहसुनिया है** इसे धारण करने से, दान करने से, भस्म का सेवन करने से लाभ प्राप्त होता है। वैदूर्य भस्म मेध्य है, रक्तपित, पितप्रद रोग की नाशक है। बल को बढाने वाली एवं दीपन गुण वाली है।

चिकित्सा के साथ साथ ग्रह दोष के विभिन्न दान, जप एवं अनुष्ठान, ईष्ट आराधन, गुरू माता पिता की वन्दना, जग्रत देव दर्शन से भी रोग निवृति में शीघ्र लाभ होते हुये देखा जाता है।

एलोपैथी के चिकित्सक भी ज्योतिष के महत्व को स्वीकार कर चुके हैं।

रोग निवृति में ज्योतिष का सहार लेकर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

विजय आचार्य
सहायक
प्रवर्तन निदेशालय, जयपुर।

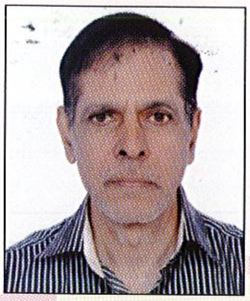

आज नही तो कल

मिलता है कर्मों का फल, आज नही तो कल।
ढूंढों तो मिलता है हल, आज नही तो कल।
प्रयास करो, हार जीत न सोचो
चलने वाला हुआ सफल, आज नही तो कल।
कोशिश हो तो क्या मुश्किल, हर मंजिल आसान
कोशिश न जाये निष्फल, आज नही तो कल।
ईश्वर हमेशा देख रहा है
नभ ही चाहे थल, आज नही तो कल।
कर्म करना कर्तव्य हमारा, जीवन की राह में
ईश्वर देता है फल, आज नही तो कल।
सोचो वो रखता है सब लेखा जोखा
गणना की हर पल, आज नही तो कल।
कर्म भले कर, बुरे से बच कर
नही कपट और छल, आज नही तो कल।
जीते जी का सारा झगड़ा, विदाई है अटल
आज नही तो कल।
नश्वर जगत का मोह है झूठा
सब कुछ जाये जल, आज नही तो कल।
भाग्य में लिखा अवश्य मिलेगा
कितनी है हलचल, आज नही तो कल।

जे. ऐ. जैदी
सहायक

सरकारी कर्मचारी

सवाल जरा सा भारी है,
कि कौन सरकारी कर्मचारी है,
तो अब जवाब की बारी है,
कि यह सरकारी कर्मचारी है।
सरकारी कर्मचारी है।

नियम कानून शासन से यारी है,
ज्ञान– योग्यताएँ सारी है,
दुनिया भर की समझदारी है,
यह सरकारी कर्मचारी है।

दिमागी तलवार दुधारी है,
इसके आगे उलझनें हारी है,
जो विवेकपूर्ण हितकारी है,
यह सरकारी कर्मचारी है।
देश के प्रशासन की जिम्मेदारी है,
सरकार का राज– दरबारी है,
जनता का आज्ञाकारी है,
यह सरकारी कर्मचारी है।

इसका नाम हमेशा जारी है,
सर्व–सम्मान का अधिकारी है,
रग–रग में ईमानदारी है,
यह सरकारी कर्मचारी है।

संस्कार से शिष्टाचारी है,
कर्मप्रधान, कर्मठ व्यवहारी है,
आखिर यह बात हमारी है,
क्योंकि हम सरकारी कर्मचारी है।

अनु वर्मा
एम.टी.एस.

भारतीय समाज में नारी का महत्व एवं स्थिति

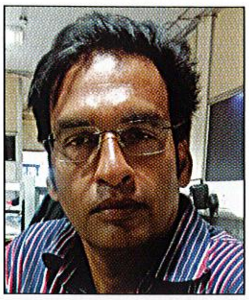

कविवर जयशंकर प्रसाद ने नारी को नीचे लिखी पंक्तियों में महिमा मंडित किया है।

नारी तुम केवल श्रद्धा हो
विश्वास रजत नग–पग तल में।
पीयूष स्रोत सी बहा करो।
जीवन के सुन्दर समतल में।

उक्त पंक्तियों में नारी को श्रद्धा मान कर उससे इच्छा की गई है कि वह जिंदगी में हमेशा अमृतमयी धारा बन बहती रहे। नारी केवल पत्नी ही नहीं अपितु योग्य मित्र, परामर्शदात्री, सहायिका, माता के समान सर्वस्व न्योछावर करने वाली है। गृहस्थी का कोई भी कार्य उसकी सम्मति के बिना नहीं हो सकता। किंतु भारतीय समाज में नारी की स्थिति सदा असमान रही है उसमें निरन्तर बदलाव आता रहा है।

यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवताः।

अर्थात जिस स्थान पर नारी को पूजा जाता है वहाँ देवता भी स्वतः रहने लगते हैं। भारत के इतिहास की ओर दृष्टि उठाए तो वह पृष्ठ नारी की गौरव महिमा से मंडित है। वेद तथा उपनिषदराज में भी नारी को पूर्ण स्वतन्त्रता एवं सामाजिक अधिकार प्राप्त थे।

तत्पश्चात मध्यकाल में नारी की स्थिति बदतर होती गई और इस काल में मात्र विलासता की वस्तु बन गई। राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त ने नारी की दीन हीन अवस्था का वर्णन इस प्रकार किया है।

अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी
आँचल में है दूध और आँखों में पानी।

गांधी जी ने जीवन पर्यन्त महिलाओं की शोचनीय स्थिति में सुधार लाने हेतु कार्य किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नारी की स्थिति में बदलाव हुआ। भारतीय संविधान में भी यह घोषणा की गई कि राज्य, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर कोई भी भेद नहीं होगा।

नारी नर सम।

यानि भारतीय नारी को भी पुरुष के समान सभी प्रकार के अधिकार मिलेंगे। नारियों ने यह सिद्ध भी किया है कि आज किसी भी क्षेत्र में वे पुरुषों से पीछे नहीं है। नारी कुछ क्षेत्रों में तो पुरुषों से भी दस कदम आगे है।

आधुनिक नारी विदेशों में भारतीय राजदूत, गर्वनर, संसद सदस्य, मंत्री, पायलट सभी कुछ तो है। चिकित्सा, मनोविज्ञान, खेल कहीं भी महिलाएं पीछे नहीं है। अभी हाल ही में हुए, राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिला खिलाडियों ने कई पदक जीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ी है। कल्पना चावला से कौन परिचित नहीं है। सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर, मैरी कॉम, पी टी ऊषा, किरन बेदी, मेधा पाटकर, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी नारी शक्ति का ज्वलंत उदाहरण है। दूसरी और विश्व स्तर पर आयोजित होने वाली सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भी भारतीय नारी ने अपने प्राकृतिक सौंदर्य से विश्वभर को मंत्रमुग्ध कर दिया है।

नारी जहाँ एक और तो प्रत्येक क्षेत्र में उंचाइयों के नये आयाम छू रही है तो दूसरी ओर बहुत से स्थानों व समाज में उसकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। प्रतिदिन समाचार पत्र, इलैक्ट्रानिक

मीडिया में पूरी तरह दहेज उत्पीड़न, गैंगरेप की खबरें सुर्खियां बनती है। सन् 2012 दिसम्बर में राजधानी दिल्ली का निर्भया कांड इस समस्या का ज्वलंत उदाहरण है कि किस तरह हमारा सामजिक एवं चारित्रिक पतन हो रहा है और मानवीय मूल्यों का दिन प्रति दिन ह्रास होता जा रहा है। आज तो प्रतिदिन एक नई निर्भया की मौत हो रही है। इस संदर्भ में कुछ पंक्तियां स्थिति की भयावहता को दर्शा रही हैं।

माँ का तन चीर के जन्में
माँ की गोदी में खेले।
माँ के ही प्यार को रोये।
तुमने तो मां के स्तन पर ।
शिशु मुख से मोहर लगाई।
फिर तुम्हारे मन में जरा सी दया नहीं आई।
तुम समझे जिसको मर्म स्थान।
वह है तुम्हारा जन्म स्थान।
मानवता का पुण्य स्थान

दूसरी ओर भारत के कुछ हिस्सों में बाल विवाह प्रथा अभी भी समाप्त नहीं हुई है। इस प्रसंग में एक उदाहरण प्रतीक में प्रस्तुत है।

ये तो कल की है बात
आई तोते की बारात।
मैना ने मचाया शोर
दूल्हा डाकू बराती चोर।
दूल्हे के पीछे बच्चे थे चार।
बापू ओ बापू
से बार– बार
मैना ने मचाया शोर
दूल्हा डाकू बराती चोर।

कुछ आधुनिक नारी पर पाश्चात्य भौतिकवादी संस्कृति का प्रभाव है। फैशन और आडम्बर को जीवन का ध्येय मान कर अंधकारमय पथ की ओर अग्रसर हो चुकी हैं। भय है कि उसकी स्थिति मध्यकालीन हीन अवस्था जैसी न हो जाए। कविवर सुमित्रानंदन पंत जी ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा है।

तुम सब ही फूल, लहर विहंगी, तितली मार्जरी,
आधुनिक कुछ नहीं अगर हो, तुम केवल नारी।

आशा है भारतीय नारी का महिमा मंडित गौरव हमेशा बना रहेगा और विश्व में भारतीय नारी का नाम सम्मानपूर्वक लिया जाएगा।

राकेश चन्द्र शर्मा
वरिष्ठ अनुवादक,
चेन्नई क्षेत्रीय कर्यालय।

चलिए .... चलकर गाँव में देखे

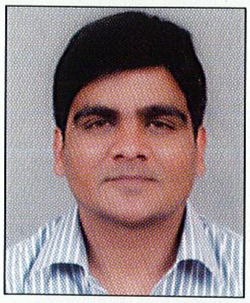

गाँव में क्या है शहर से बढ़कर, चलिए चलकर गाँव में देखें,
पनघट और चौपाल का मंजर, चलिए चलकर गाँव में देखें।
गोरी, घटाएँ, घुघँट, गागर, चलिए चलकर गाँव में देखें,
शर्त है, लेकिन खूब सभंलकर, चलिए चलकर गाँव में देखें।
सादा जीवन, सच्चे सुख–दुःख, गर्म आँसू, ठण्डी मुस्कानें,
उमड़ा हुआ प्यार का सागर, चलिए चलकर गाँव में देखें।
भूली–बिसरी तहजीबों के, धुँधले–धुँधले नक्श–ओ–निगार,
क्या–क्या है पुरखों की धरोहर, चलिए चलकर गाँव में देखें।
सूरज रोज सवेरे उठकर, करता है तैयार जिसे खुद,
तारों जड़ी वो चाँद की चूनर, चलिए चलकर गाँव में देखें।
हिन्दू–मुस्लिम मिल के मनाएँ, होली हो या ईद का मिलन,
त्यौहारों का रूप उजागर, चलिए चलकर गाँव में देखें।
भेद–भाव से नाता तोड़े, लेकिन पक्के शेख–ओ–विरहमन,
दोनों मिलेगें एक डगर पर, चलिए चलकर गाँव में देखें।
ऊँचे मकानों में ना मिलेगे, पीपल–बरगद–नीम के साए,
चौखट–चौखट धूप के तेवर, चलिए चलकर गाँव में देखें।
बच्चे–बूढ़े, नर और नारी, सब ही मिले उल्लास से भरें,
धरती की पूजा के अवसर, चलिए चलकर गाँव में देखें।
बच्चे हमें देखे जो अचानक, मारे खुशी के ताली बजायें,
फेंक के गहरी झील में कंकर, चलिए चलकर गाँव में देखें।
दुनिया भर की सारी झीले, नूर–निछावर हो सब जिस पर,
ममता का वह मानसरोवर, चलिए चलकर गाँव में देखें।

मनोज कुमार वर्मा
सहायक प्रवर्तन अधिकारी

वह हिंदी है वह हिंदी है

हृदय में जो बात आये, होंठों पर थिरक जाये।

वाणी जो शब्द गड़े शब्दों के अर्थ बने।

वह हिंदी है वह हिंदी है।

कबीर की साखी में, तुलसी के व्यंगो में

मीरा की वीणा से, झंकृत हो जाये।

वह हिंदी है वह हिंदी है।

सूरज की किरणों से सागर की लहरों से,

पानी के झरनों से, निर्झर झर–झर बहती जाये,
वह हिंदी है वह हिंदी है।

पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक,

भारत के जन–जन, की अभिलाषित बन जाये,

वह हिंदी है वह हिंदी है।

कुल भूषण कुमार
सहायक प्रवर्त्तन अधिकारी

लूटियन्स की दिल्ली

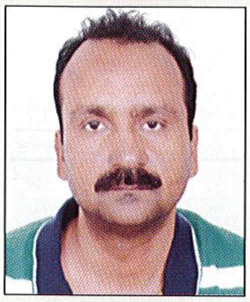

सर एडविन लूटियन्स, जो कि नैड के नाम से जाने जाते थे, अपने पिता की दसवीं संतान थे। नैड अपना पूरा दिन साईकिल से खूबसूरत ग्रामीण इलाकों में घूमते रहते थे। वह सरी नामक कस्बे के सुन्दर मकानों को निहारते व साबुन से ग्लास पर उनके चित्र बनाते थे। प्रकृति चित्रण करने की अनुपम कला उन्हें भगवान से उपहार में मिली हुई थी। "होन हार बिखान के होत चिकने पात"

16 साल की उम्र में नैड ने वास्तुकला विद्यालय में दाखिला लिया पर दो साल बाद से ही उन्होंने विद्यालय छोड़कर एक वास्तुकार अरनैस्ट जॉर्ज के सहायक बन गये। इसी दौरान लूटियन्स का दो लोगों से परिचय हुआ गरतुडे व हरबट बेकर। 19 साल की आयु में लूटियन्स ने अपना अभ्यास शुरू किया। वह बस काम करते ही रहते थे ना खेलते ना ही किसी से घुलते मिलते थे और न ही मौज मस्ती करते थे। वास्तुकला ने उन्हें पूरा निगल लिया था।

इस वक्त जब लूटियन्स बुलन्दियों को छू रहे थे तब वे एक पार्टी में ऐमलि से मिले। वह 21 साल की थीं और लूटियन्स 27 साल के थे। पाँच हजार प्रेम–पत्र आदान प्रदान करने के बाद अगस्त 1897 में दोनों ने विवाह रचाया।

सन् 1911 में सम्राट जॉर्ज पंचम ने राजनीतिक कारणों से राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानान्तरित की। सम्राट जॉर्ज पंचम व रानी मैरी ने हिन्दुस्तान की नई राजधानी की नींव रखी। इसकी घोषणा सम्राट जोर्ज ने 5 दिसम्बर, 1911 को किंगस्वे कैंप में दरबार लगा के की जिसमें कि सारे राजे रजवाड़े उपस्थित थे। दो पत्थर की आधारशिला रखी गई एक सम्राट के द्वारा व एक महारानी के द्वारा।

राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानान्तरण का बहुत विरोध हुआ लेकिन जॉर्ज V व वायसराय लॉर्ड चार्लस हार्डिंग अडिग थे। सबसे घोर विरोधी लॉर्ड कर्जन थे, जिन्होने बंगाल का विभाजन किया था। उन्होनें अपने भाषण में, जो कि हाऊस ऑफ लार्डस में दिया था यह कहा कि सरकार की मंशा बंगाल के गर्म माहौल से बचाने की थी।

1912 में लूटियन्स को न्योता मिला कि वे सरकार को नए कार्यालय बनाने की उपयुक्त जगह तलाश करने में मदद करें। यह एडवर्ड लूटियन्स का भारत के साथ सम्बन्ध का आगाज था, जो 19 साल तक रहा। जब लूटियनस को मुख्य वास्तुविद (Architect) चुना गया तो अपने घनिष्ठ मित्र हरबैट बेकर जिनको की बड़े पब्लिक परोजेक्ट का तर्जुबा था को अपना शार्गिद बनाना स्वाभाविक था।

नई राजधानी की योजना कठिनाईयों से ग्रस्त थी। जिनमें दो मुख्य समस्याएं अर्थात एक राजधानी के लिए नई जगह दूसरी वास्तुकला शैली का चुनाव। लूटियन्स अधिकारिक रूप से वायसराय हाउस (राष्ट्रपति भवन) बनाने के लिए चुने गए। लूटियन्स उच्च वर्गीय मानसिकता के थे। उनकी दृष्टि में भारतीय वास्तुकला शैली निम्नस्तरीय थी। लार्ड हार्डिंग व उनके बीच वास्तुकला शैली को लेकर कितने युद्ध लड़े गये। लूटियन्स पश्चिमी वास्तुकला शैली को आधार बनाकर नई दिल्ली की रचना करना चाहते थे जबकि लार्ड हार्डिंग भारतीय कला का भी समावेश चाहते थे। लूटियन्स ने अपनी बात मनवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। 1912 की गर्मी तक पूर्वी वास्तुकला के घोर

विरोधियों व सर्मथकों के बीच समझौता हो गया था कि पश्चिम वास्तुकला शैली के साथ पूर्वी शैली का भी समावेश होगा। नई दिल्ली के निर्माण के लिए ठेकेदारों का भी चुनाव हुआ जिसमे मुख्य ठेकेदार सरदार शोभा सिंह चुने गये थे, जो मशहूर लेखक स्वर्गीय खुशवन्त सिंह के पिता थे।

एक भव्य नई दिल्ली बनाने का सपना लूटियन्स को जकड़ चुका था वह उनके दांपत्य जीवन के अन्त का कारण भी बना। अब कुछ मसले तय होने के बाद लूटियन्स व अन्य सदस्यों ने उस जगह का मुआयना किया जहाँ सम्राट व महारानी ने आधारशिला रखी थी। यह तय हुआ कि वह जगह नई राजधानी के लिए उपर्युक्त नहीं थी। अब लूटियन्स व बेकर घोड़े पर बैठकर नई जगह तलाश करने के लिए पूरी दिल्ली का चक्कर लगाते थे। काफी मेहनत एवं मशक्कत के बाद उन्हें जगह मिली थी। मालचा गाँव जो कि रायसीना चोटी पे था व उसके पीछे जंगल था सरदार शोभा सिंह को जब इस बात की खबर मिली तो रातों रात आधारशिला का किग्सवे कैम्प नई जगह पर स्थापित कर दिया।

बेकर व लूटियन्स अब पूर्ण भारत का भ्रमण करने लगे। वह सारे प्राचीन चिन्ह व बौद्ध प्रतिमा जैसे की साँची स्तूप, राजस्थान में राजाओं की हवेली, महल इत्यादि को निहारते उन्होने माण्डू, बीकानेर में भी कई दिन गुजारे। नई दिल्ली में कार्य करने के लिए अधिकतर श्रमिक राजस्थान से लाए गए। एक वक्त 30,000 श्रमिक राजस्थान से थे उनका बड़ा योगदान रहा। नई दिल्ली की इमारतों को बनाने के लिए उन कारीगरों को बुलाया गया ,उनमें कुछ ताज महल बनाने वाले शिल्पकारों के वंशज थे।

एक तरफ जब नई दिल्ली का निर्माण हो रहा था दूसरी तरफ लूटियन्स व उनके मित्र बेकर के बीच युद्ध की स्थिति हो गई थी। लूटियन्स चाहते थे कि वायसराय लांज (राष्ट्रपति भवन) सचिवालय (नार्थ व साउथ ब्लाक) से उचाँई पर रहे क्योंकि उनकी धारणा यह थी की वायसराय सभी सरकारी नौकरों से उच्चत्तम थे। लेकिन बेकर का यह माना था कि प्रजातन्त्र के आधूनिक दौर में शासक व सरकारी कर्मचारी समान थे। दूसरे बड़े झगड़े का कारण विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक की ढलान का था। लूटियन्स चाहते थे कि व खड़ी चढ़ाई के रूप में हो और वायसराय लांज एक दम चढ़ाई के ऊपर स्थित हो ताकि नीचे व दूर से भी देखी जा सके।

बेकर इस से असहमत थे उनका मानना था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वायसराय लांज नीचे से कम या पूरा दिखे। बेकर सचिवालय को किसी भी हाल में चोटी के नीचे नहीं बनाना चाहते थे।

आखिरकार लूटियन्स दबाव में आ गये ओर चोटी के ऊपर सचिवालय बनाने का रास्ता साफ हो गया। जिसका उन्हें जीवन भर मलाल रहा क्योंकि वायसराय लांज को चोटी के पिछले हिस्से में बनाना पडा। जिससे नीचे से सिर्फ वायसराय लांज की छतरी (डोम) दिखती थी। लूटियन्स ने बेकर को पत्र लिखकर कहा कि यह एक विशालकाय कलात्मक चूक थी और आने वाली पीढ़ियां हमेशा इस भूल के रचियता की निंदा करेगी।

सर एडवर्ड लूटियन्स की मृत्यु 01 जनवरी, 1944 को हुई लेकिन यह प्रतीत होता है कि वो आज भी जीवित है और शायद दिल्ली की किसी इमारत में बैठक लूटियंन्स नई दिल्ली को निहारते होंगें।

अनूप सिंह रौथान
सहायक निदेशक

प्रवर्तन दिवस, 2014 के अवसर पर निदेशक के पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के
साथ माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुर्क की गई सम्पत्ति